अनुक्रमणिका
CONTENTS

निदेशक मंडल, प्रमुख कार्यपालक, मुख्य कार्यपालक-एकक, एकक/कार्यालय, पंजीकृत कार्यालय, लेखापरीक्षक, बैंकर्स तथा कानूनी सलाहकार	:	2
Board of Directors, Principal Executives, Chief Executives-Units, Units/Offices, Registered Office, Auditors, Bankers and Legal Advisers	:	2
सूचना/Notice	:	6
निदेशकों की रिपोर्ट/Directors' Report	:	7
लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट/Auditors' Report	:	36
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी	:	48
Comments of the Comptroller and Auditor General of India	:	49
तुलन-पत्र/Balance Sheet	:	50
लाभ एवं हानि लेखा/Profit & Loss Account	:	52
अनुसूची 2 से 20/Note 2 to 20	:	54
लेखा विधि नीतियां तथा टिप्पणियाँ जो लेखों का भाग हैं (अनुसूची : 1) Accounting Policies & Notes Forming Part of Accounts (Note : 1)	:	74
नकद प्रवाह विवरण/Cash Flow Statement	:	86

निदेशक मंडल

श्री सतीश चन्द्र, आई.ए.एस.
संयुक्त सचिव (पी एण्ड ए),
उर्वरक विभाग
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय,
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार
(12.07.2012 से)

श्री शाम लाल गोयल, आई.ए.एस.
संयुक्त सचिव (पी एण्ड पी),
उर्वरक विभाग,
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय,
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का
अतिरिक्त कार्यभार
(31.3.2011 से (12.07.2012 तक)

श्रीमती टी.सी.ए. कल्याणी
निदेशक (एफ.ए.)
उर्वरक विभाग,
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय,
निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त कार्यभार
(30.10.2008 से)

श्री एस. आनंदन,
उप सचिव
उर्वरक विभाग
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
(8.8.2011 से)

श्री विजय रंजन सिंह,
निदेशक (एफ),
उर्वरक विभाग,
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
(27.08.2012 से)

डॉ. प्रदीप कुमार
विशेष निदेशक (बी.आई.एफ.आर.)
(4.2.2011 से)

BOARD OF DIRECTORS

Shri Satish Chandra, IAS
Joint Secretary (P&A),
Deptt. of Fertilizers,
Ministry of Chemicals & Fertilizers,
Additional Charge of Chairman & Managing Director
(w.e.f.12.07.2012)

Shri Sham Lal Goyal, IAS
Joint Secretary (P&P),
Deptt. of Fertilizers,
Ministry of Chemicals & Fertilizers,
Additional Charge of Chairman &
Managing Director
(From 31.3.2011 to 12.07.2012)

Smt. T.C.A. Kalyaani
Director (FA),
Deptt. of Fertilizers,
Ministry of Chemicals & Fertilizers,
Additional Charge of Director (Finance)
(w.e.f. 30.10.2008)

Shri S. Anandan
Dy. Secretary,
Deptt. of Fertilizers,
Ministry of Chemicals & Fertilizers
(w.e.f. 8.8.2011)

Shri Vijay Ranjan Singh
Director (F)
Deptt. of Fertilizers
Ministry of Chemicals & Fertilizers,
(w.e.f. 27.08.2012)

Dr. Pradeep Kumar
Special Director, BIFR
(w.e.f. 4.2.2011)

श्री धीरेन्द्र रस्तोगी,
विशेष निदेशक, बी.आई.एफ.आर.
(06.06.2012 से)

श्रीमती ललिथा दास
उप सचिव,
उर्वरक विभाग,
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
(22.12.2010 से (25.06.2012 तक)

श्री नीरज सिंघल
निदेशक (पी.एस.यू.),
उर्वरक विभाग,
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
(25.06.2012 से 27.08.2012 तक)

श्री एच. अब्बास
उप सचिव,
उर्वरक विभाग,
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
(12.09.2008 से 8.8.2011 तक)

प्रमुख कार्यपालक

श्री राजीव कुमार
उप सचिव (ए.एण्ड वी.),
उर्वरक विभाग,
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय,
मुख्य सतर्कता अधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार
(01.06.2012 से)

श्री बी. आर. मीना, आई.पी.एस.,
मुख्य सतर्कता अधिकारी (मैं. पी.डी.आई.एल.)
मुख्य सतर्कता अधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार
(17.6.2009 से 31.5.2012 तक)

श्रीमती सिओन कोंगारी
कार्यवाहक महाप्रबंधक

Shri Dhirendra Rastogi
Special Director, BIFR
(w.e.f. 06.06.2012)

Smt. Lalitha Das
Dy. Secretary,
Deptt. of Fertilizers,
Ministry of Chemicals & Fertilizers
(From 22.12.2010 to 25.06.2012)

Shri Neeraj Singhal
Director (PSU),
Deptt. of Fertilizers,
Ministry of Chemicals & Fertilizers,
(From 25.06.2012 to 27.08.2012)

Shri H. Abbas
Dy. Secretary,
Deptt. of Fertilizers,
Ministry of Chemicals & Fertilizers
(From 12.9.2008 to 8.8.2011)

PRINCIPAL EXECUTIVES

Shri Rajiva Kumar,
Dy. Secretary (A&V),
Deptt. of Fertilizers,
Ministry of Chemicals & Fertilizers,
Additional Charge of Chief Vigilance Officer
(w.e.f. 01.6.2012)

Shri B. R. Meena, IPS,
Chief Vigilance Officer (M/s PDIL)
Additional Charge of Chief Vigilance Officer
(From 17.6.2009 to 31.5.2012)

Smt. Sion Kongari
Actg. General Manager

श्री के. एल. राव
विशेष कार्य अधिकारी

मुख्य कार्यपालक - एकक

श्री ए. के. मिश्र
प्रभारी, महाप्रबंधक, पी डी आई एल,
एफ. सी. आई. एल. सिन्दरी के महाप्रबंधक का अतिरिक्त कार्यभार

श्री इरफान अहमद
कार्यवाहक महाप्रबंधक, तलचर

श्री जगदीश प्रसाद
प्रभारी, गोरखपुर

श्रीमती एम. वी. सीता
प्रभारी, रामागुण्डम

श्री आर. एल. देशभ्रतार
प्रभारी, कोरबा

एकक/प्रभाग/कार्यालय

सिन्दरी एकक	-	झारखण्ड
गोरखपुर एकक	-	उत्तर प्रदेश
रामागुण्डम एकक	-	आन्ध्रप्रदेश
तलचर एकक	-	ओडिसा
कोरबा प्रभाग	-	छत्तीसगढ़
केन्द्रीय कार्यालय	-	नोएडा (यू.पी.)

पंजीकृत कार्यालय

7, इन्स्टीट्यूशनल एरिया,
स्कोप कॉम्पलैक्स, कोर-III
लोदी रोड, नई दिल्ली-110003

Shri K.L. Rao
Officer on Special Duty

CHIEF EXECUTIVES UNITS

Shri A. K. Mishra
Incharge, General Manager, PDIL
Additional Charge of GM, FCIL, Sindri

Shri Irfan Ahmed
Actg. General Manager, Talcher

Shri Jagdish Prasad
Incharge, Gorakhpur

Smt. M.V. Sita
Incharge, Ramagundam

Shri R.L. Deshbhratar,
Incharge, Korba

UNITS/DIVISION/OFFICE

Sindri Unit	–	Jharkhand
Gorakhpur Unit	–	Uttar Pradesh
Ramagundam Unit	–	Andhra Pradesh
Talcher Unit	–	Odisha
Korba Division	–	Chhatisgarh
Central Office	–	Noida (U.P.)

REGISTERED OFFICE

7, Intitutional Area,
SCOPE Complex, Core III,
Lodhi Road, New Delhi-110003

केन्द्रीय कार्यालय

पी.डी.आई.एल. भवन (पांचवी मंजिल),
ए-14, सेक्टर-1, नोएडा,
जिला-गौतम बुद्ध नगर,
उत्तर प्रदेश-201 301

लेखा परीक्षक

मैसर्स घोष खन्ना एण्ड कम्पनी,
सनदी लेखाकार, नई दिल्ली

बैंकर्स

स्टेट बैंक ऑफ पटियाला
स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया
यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद

कानूनी सलाहकार

मैसर्स फाक्स एण्ड मंडल, एडवोकेट्स, कोलकाता
मैसर्स अंजली के. वर्मा एण्ड एसोसिएट्स, एडवोकेट्स, नई दिल्ली
मैसर्स अरोड़ा एण्ड एसोसिएट्स, एडवोकेट्स, नोएडा
मैसर्स दीवान एण्ड कम्पनी, एडवोकेट्स, दिल्ली
मै. जी. जोशी एण्ड एसोसिएट्स, एडवोकेट्स, नई दिल्ली
मैसर्स के. आर. चावला एण्ड कम्पनी, एडवोकेट्स, नई दिल्ली
मैसर्स सक्सेना एण्ड कम्पनी, एडवोकेट्स, दिल्ली

CENTRAL OFFICE

PDIL Bhawan (5th Floor),
A-14, Sector-1, NOIDA
Distt. Gautan Budh Nagar,
Uttar Pradesh -201301

AUDITORS

M/s. Ghosh Khanna & Co.,
Chartered Accountants, New Delhi

BANKERS

State Bank of Patiala
State Bank of India
Union Bank of India
State Bank of Hyderabad

LEGAL ADVISERS

M/s. Fox & Mandal, Advocates, Kolkata
M/s. Ajnali K. Varma & Associates, Advocates, New Delhi
M/s. Arora & Associates, Advocates, NOIDA
M/s. Dewan & Co., Advocates, Delhi
M/s G. Joshi & Associates, Advocates, New Delhi
M/s K. R. Chawla & Co., Advocates, New Delhi
M/s. Saxena & Co, Advocates, Delhi

सूचना

यहाँ यह सूचित किया जाता है कि दि फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के शेयरधारियो की 56वीं वार्षिक सामान्य बैठक शुक्रवार, 21 सितम्बर, 2012 को अपराह्न 3.30 बजे, कान्फ्रेंस रूम, उर्वरक विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001 में निम्नलिखित कार्य व्यापार के लिए आयोजित की जायेगी :-

1. "31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट सहित निदेशकों की रिपोर्ट, तुलन पत्र तथा लाभ-हानि लेखा को ग्रहण एवं अंगीकृत करना।"

2. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो संशोधन सहित अथवा बिना संशोधन के साधारण संकल्प के रूप में पास करना :-

   "भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी. ए. जी.) द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखापरीक्षकों को वित्तीय वर्ष 2012-2013 के लिए पारिश्रमिक निगम के निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित किए जाने का संकल्प पारित करना"

बोर्ड के आदेश से
ह०/-
(टी.सी.ए. कल्याणी)
दिनांक : 28.08.2012 निदेशक (वित्त)

टिप्पणी : प्रत्येक सदस्य बैठक में उपस्थित होकर अपना मत दे सकता है तथा अपने किसी अन्य व्यक्ति को बैठक में उपस्थित होने तथा मत देने के लिए नियुक्त कर सकता है। प्रतिनिधि के लिए कम्पनी का शेयरधारी होना आवश्यक नहीं है।

सेवार्थ,
सभी शेयरधारी
प्रतिलिपि :-

1. मैसर्स घोष खन्ना एण्ड कम्पनी,
   सनदी लेखाकार, एल-2ए,
   हौज खास एन्कलेव, नई दिल्ली-110016
2. अध्यक्ष, लेखा परीक्षा समिति

NOTICE

Notice is hereby given that the 56th Annual General Meeting of the Shareholders of The Fertilizer Corporation of India Limited will be held on Friday, 21st September, 2012 at 3.30 P.M. at the Conference Room, Department of Fertilizers, Shashtri Bhawan, New Delhi - 110 001 to transact the following business :-

1. "To receive and adopt the Directors' Report to the Shareholders, the Balance Sheet and Profit and Loss Account along with the Auditors' Report for the year ended 31st March, 2012".

2. To consider and, if thought fit, to pass, with or without modification, the following resolution as an ordinary resolution :-

   "Resolved that the remuneration would be payable to the Statutory Auditors to be appointed by the Comptroller & Auditor General of India (CAG) for the financial year 2012-2013 be fixed by the Board of Directors of the Corporation."

By Order of the Board
Sd/-
(T.C.A. Kalyaani)
Dated : 28.08.2012 Director (Finance)

Note : A Shareholder entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint proxy to attend and vote instead of himself. A proxy need not be a Shareholder of the Company.

To:
All Shareholders.
Copy to:-

1. M/s. Ghosh Khanna & Co.,
   Chartered Accountants, L-2A,
   Hauz Khas Enclave, New Delhi - 110016
2. Chairman, Audit Committee.

निदेशकों की रिपोर्ट

1.0 आपके निदेशक 31 मार्च, 2012 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिये लेखा परीक्षित लेखों तथा लेखा परीक्षा रिपोर्ट सहित निगम की 56वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

2.0 वित्तीय परिणाम

निगम को वर्ष के 2010-11 के 508.56 करोड़ रुपये की बही हानि की तुलना में वर्ष 2011-2012 में 552.76 करोड़ रुपये की बही हानि हुई है। यह हानि 0.27 करोड़ रुपये के मूल्यह्रास (पिछले वर्ष 0.29 करोड़ रुपये) तथा भारत सरकार के ऋण पर 553.91 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 554.10 करोड़ रुपये) का प्रावधान किये जाने के कारण हुई है।

वित्तीय परिणाम नीचे दिये गये हैं :

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	प्रचालन लाभ/हानि (+) (-)	मूल्यह्रास	ब्याज	निवल लाभ/हानि (+) (-)	पूर्व अवधि समायोजन के बाद बही लाभ/हानि
2011-12	(+) 15.50	0.27	553.91	(-) 538.68	(-) 552.76
2010-11	(+) 45.23	0.29	554.10	(-) 509.16	(-) 508.51

3.0 वित्तीय स्रोत

3.1 शेयर पूंजी

एफ सी आई एल की अभिदत्त एवं प्रदत्त पूंजी 750.92 करोड़ रुपये है।

DIRECTORS' REPORT

1.0 Your Directors hereby present their 56th Annual Report of the Company together with the audited accounts and the auditors' report for the year ended 31st March, 2012.

2.0 FINANCIAL RESULTS

The Company incurred a book loss of Rs. 552.76 Crore in 2011-2012 as against a book loss of Rs. 508.51 crore during 2010-2011. The loss has been arrived at after providing a depreciation of Rs. 0.27 Crore (Previous Year Rs. 0.29 Crore) and interest on GOI loan of Rs. 553.91 Crore (previous year Rs. 554.10 Crore).

The financial results are given below:

(Rs. in Crore)

Year	Operating Profit/Loss (+) (-)	Depreciation	Interest	Net Profit/Loss (+) (-)	Book Profit/ Loss after prior period adjustment
2011-12	(+) 15.50	0.27	553.91	(-) 538.68	(-) 552.76
2010-11	(+) 45.23	0.29	554.10	(-) 509.16	(-) 508.51

3.0 FINANCIAL RESOURCES

3.1 SHARE CAPITAL

The subscribed capital and paid up capital remains Rs. 750.92 crore.

3.2 ऋण

वर्ष के दौरान निगम को भारत सरकार ने योजना/गैर योजना ऋण प्रदान नहीं किया है।

वर्ष के अंत तक ऋण एवं देय ब्याज की स्थिति इस प्रकार थी :

(रुपये करोड़ में)

	2011-12	2010-11
भारत सरकार से		
योजना ऋण	385.78	385.78
गैर-योजना ऋण	2353.50	2353.50
पुराना खड़ा ब्याज	7904.47	7351.35
योग (क)	10643.75	10090.63
सार्वजनिक उपक्रमों/वित्तीय संस्थाओं से		
ऋण	5.00	5.00
पुराना खड़ा ब्याज* (31.3.2000 तक)	7.63	7.63
योग (ख)	12.63	12.63
कुल योग (क + ख)	10650.38	10103.26

* भारी वित्तीय संकट के कारण ऋणों पर ब्याज का और प्रावधान नहीं किया गया है।

4.0 राष्ट्रीय राजकोष में योगदान

निगम ने वर्ष के दौरान सेवा कर, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, आयकर, सीमाशुल्क, विद्युत शुल्क के रूप में केन्द्रीय एवं राज्य राजकोषों को 0.94 करोड़ रुपये का योगदान दिया है।

3.2 LOAN

During the year Government of India has not paid any plan / non-plan loan to the Company.

The loan and interest payable position up to the year-end was as follows:

(Rs./Crore)

	2011-12	2010-11
From Government of India		
Plan loan	385.78	385.78
Non-plan loan	2353.50	2353.50
Overdue interest	7904.47	7351.35
Total (a)	10643.75	10090.63
From Public Sector Undertakings/ Financial Institutions		
Loan	5.00	5.00
Overdue interest* (Upto 31. 3. 2000)	7.63	7.63
Total (b)	12.63	12.63
Grand Total (a+b)	10650.38	10103.26

* In view of severe financial constraints, no further interest is provided on loans.

4.0 CONTRIBUTION TO NATIONAL EXCHEQUER

The Company made a contribution of Rs. 0.94 crore by way of service tax, sales tax, excise duty, income tax, customs duty, electricity duty to the central and state exchequers during the year.

5.0 उत्पादन निष्पादन

एककों को वर्ष 2002 में बंद करने के संबंध में भारत सरकार के निर्णय के कारण वर्ष के दौरान किसी भी संयंत्र में यूरिया का उत्पादन नहीं हुआ।

6.0 एककों की स्थिति

भारत सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2002-03 में सभी एककों को बन्द करने के आदेश के कारण किसी भी एकक में उत्पादन नहीं हो रहा है तथा कार्यकलाप सुरक्षा व्यवस्था तथा कर्मचारियों की देयताओं के निपटान तक सीमित है।

7.0 विपणन प्रचालन

निगम की सभी इकाइयों को बन्द करने के निर्णय तथा वर्ष के दौरान कोई भी उत्पादन न होने के कारण हैदराबाद, भुवनेश्वर, कोलकाता, पटना, रांची के विपणन कार्यालयों को बन्द कर दिया गया है और उन कार्यालयों की परिसम्पत्ति का निपटान कर दिया गया है अथवा अन्य कार्यालयों/एककों को भेज दिया गया है। वहाँ कोई विपणन गतिविधि नहीं है।

8.0 बी. आई. एफ. आर. संदर्भ

8.1 जब बी.आई.एफ.आर. के दिनांक 2.11.2001 के निगम को बंद करने के आदेश को चुनौती देते हुए कम्पनी दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष थी तभी उर्वरक विभाग ने अपने दिनांक 30.7.2002 तथा 10.9.2002 के संदेश में जोधपुर खनन संस्थान (जे. एम. ओ.) को पुनर्गठित कर अलग अस्तित्व प्रदान करना, निगम की सभी उर्वरक इकाइयों को बंद करने तथा स्वेच्छिक प्रथककरण योजना (वी.एस.एस.) के अंतर्गत निगम के सभी कर्मचारियों को कार्यमुक्त करने के भारत सरकार के निर्णय को सूचित किया। इन गतिविधियों को देखते हुये उच्च न्यायालय ने इस विषय को

5.0 PRODUCTION PERFORMANCE

There was no production of urea at any of the plants during the year, due to the decision of the GOI for closure of the plants in the year 2002.

6.0 PLANT STATUS

Pursuant to the Govt's orders for closure of all units in 2002-03 (FY), there is no production in any of the units, activity is restricted to security arrangement and settlement of dues of employees.

7.0 MARKETING OPERATIONS

In view of decision for closure of all the fertilizer units of the Company and there being no production, marketing offices at Hyderabad, Bhubaneswar, Kolkata, Patna, Ranchi were closed and assets of these offices were disposed/ sent to other offices/ units. There is no marketing activity.

8.0 BIFR REFERENCE

8.1 While the Company was before the Hon'ble Delhi High Court, challenging the orders dated 2.11.2001 of BIFR for winding up of the Company, the Department of Fertilizers vide their communications dated 30.7.2002 and 10.9.2002 conveyed the decision of GOI for hiving-off of Jodhpur Mining Organisation (JMO) into a separate entity, closure of all fertilizer units of the Company and release of all the employees on VSS. In the light of

बी.आई.एफ.आर. के पास पुनर्विचार के लिये वापस भेज दिया है।

8.2 सरकार के सभी उर्वरक इकाइयों को बंद करने के आदेशानुरूप वर्ष 2002-03 में वी.एस.एस. के अंतर्गत 5240 कर्मचारी, 2003-04 में 273 कर्मचारी, 2004-05 में 7 कर्मचारी, 2005-06 में 4 कर्मचारी, 2006-07 में 5 कर्मचारी, 2007-08 में 4 कर्मचारी, 2008-09 में 3 कर्मचारी, 2009-10 में शून्य, 2010-11 में 5 कर्मचारी और 2011-12 में 7 कर्मचारी सेवामुक्त किये गये थे। अब 26 वी.एस.एस. की मांग कर चुके कर्मचारी निगम की सम्पत्ति की सुरक्षा और रखवाली एवं सांविधिक दायित्वों को पूरा करने के लिये रखे गये हैं।

8.3 बी.आई.एफ.आर. ने अपने 17.5.2004 की सिफारिशों में जे.एम.ओ. के 1.4.2003 से अविलयन की मंजूरी को सूचित किया है जो कि पहले से ही प्रभावशील है। बी आई एफ आर ने 17.5.2004 के आदेश में सभी उर्वरक इकाइयों को बंद करने की सिफारिश करने के साथ ही निर्देश दिया है कि परिसम्पत्ति बिक्री समिति, परिसम्पत्ति की बिक्री आदि के संबंध में कार्य करेगी।

8.4 बी. आई. एफ.आर. ने अपने दिनांक 17.5.2004 की सिफारिशों को रजिस्ट्रार, दिल्ली उच्च न्यायालय को 27.5.2004 को भेज दिया है। इसे उच्च न्यायालय में सी पी : 183/2004 में दर्ज किया गया है। माननीय कम्पनी न्यायधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा मामले को 19.7.2004, 4.10.2004, 17.1.2005 और 12.7.2005 को सुना और अगली सुनवाई की तिथि 22.2.2006 और फिर 4.5.2006

these developments, the Hon'ble High Court remitted the matter back to BIFR for fresh consideration.

8.2 Pursuant to the Government's orders for closure of all the fertilizer units, 5240 numbers of employees were released on VSS in the year 2002-03, 273 persons during the year 2003-04, 7 persons during 2004-05, 4 persons during 2005-06, 5 persons during 2006-07, 4 persons during 2007-08, 3 persons in 2008-09, 0 in 2009-10, 5 in 2010-11 and 7 in 2011-12. At present 26 VSS optee employees are retained on the rolls of the Company to look after the safety and security of the properties and to discharge the statutory obligations of the Company.

8.3 The Hon'ble BIFR vide their recommendations dated 17.5.2004 conveyed the sanction of the de-merger of J.M.O w.e.f 1.4.2003 into a new company which has already been given effect. The BIFR vide order dated 17.5.2004 apart from recommending winding up of all Fertilizer Units directed that an Asset Sale Committee may take-up the sale of assets, etc.

8.4 The BIFR forwarded its recommendations dated 17.05.2004 to the Registrar, Hon'ble High Court of Delhi on 27.05.2004. The same have been registered as CP: 183 of 2004 in the High Court. The matter has been heard by Hon'ble Company Judge, Delhi High Court on 19.07.2004, 04.10.2004, 17.01.2005 and 12.07.2005 on which date the matter has been adjourned to 22.02.2006

अनुसूचित किया है। दिल्ली उच्च न्यायालय के 31.10.2006 के आदेश के अंतर्गत कंपनी ने सभी असुरक्षित लेनदारों को जिनका एक लाख रुपये तक का बकाया है के निपटारे के लिये दिल्ली उच्च न्यायालय के शासकीय परिसमापक के पास 5 करोड़ रुपये जमा कर दिये हैं।

8.5 दिल्ली उच्च न्यायालय ने मामले को 24.8.2007, 15.1.2008, 15.5.2008, 17.11.2008, 14.7.2009, 21.12.2009, 15.2.2010 और 30.8.2010 को सुनवाई को जारी रखा है।

8.6 संज्ञान के लिये भारत सरकार द्वारा स्वीकृत यूरिया निवेश नीति तथा पुनरुज्जीवन से संबंधित अन्य दस्तावेज दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिये गये हैं। निवेश आदि से संबंधित विभिन्न पुनरुज्जीवन विकल्पों को परखने के लिये भारत सरकार ने अक्टूबर 2008 में सचिवों की एक उच्च शक्ति वाली समिति (ई.सी.ओ.एस.) का गठन किया है। ई.सी.ओ.एस. की दिनांक 5.12.2008 को हुई पहली बैठक में एफ.सी.आई.एल. के पुनरुज्जीवन से संबंधित प्रस्तावित कार्यों को वृत्तिक परामर्शदाता के द्वारा कार्य रूप देने के लिये 'विचारार्थ विषयों' की स्वीकृति दी है। फलस्वरूप कंपनी ने परिसम्पत्ति मूल्यांकन के लिये पी.डी.आई.एल. को नियुक्त किया है और उन्होंने अगस्त 2009 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। कंपनी ने उपयुक्त पुनरुज्जीवन विकल्प संस्तुति के लिये भी पी.डी.आई.एल. को नियुक्त किया है। पी.डी.आई.एल. ने वित्तीय परामर्शदाताओं मै. प्राइस वाटरहाउस कूपर्स तथा मै. वक्कश की सहायता से अपनी संस्तुति दे दी है। ई.सी.ओ.एस. की 24.8.2009 को हुई दूसरी बैठक में परामर्शदातओं की संस्तुति पर विचार किया गया और

and, subsequently to 04.05.2006. In pursuance of the orders of Hon'ble High Court of Delhi on 31.10.06, the company has deposited Rs. 5.00 crore with the Official Liquidator of Delhi High Court for settling the dues of the Unsecured Creditors having claims of upto Rs. 1.00 lakh.

8.5 However Hon'ble Delhi High Court continued to hear the matter on 24.08.2007, 15.01.2008, 15.05.2008, 17.11.2008, 14.7.2009, 21.12.2009, 15.2.2010 and 30.08.2010.

8.6 The new Urea investment Policy approved by GoI and other related documents on revival have duly been filed before Hon'ble Delhi High Court for taking cognizance. GoI further constituted an Empowered Committee of Secretaries (ECOS) in October 2008 to examine various revival options w.r.t. Investment etc. ECOS had in their Ist meeting held on 5.12.2008 approved 'Terms of Reference" for revival activities proposed to be taken up through Professional Consultants, to enable revival of FCIL. Accordingly, the Company has appointed M/s PDIL for asset evaluation and they have submitted their report in August 2009. The Company has also appointed M/s PDIL for recommending suitable revival options. M/s PDIL with the help of Financial Consultants M/s Price Waterhouse Coopers and M/s Vakksh submitted their recommendations. The recommendations of the Consultants have been duly considered by ECOS in their

पुनरुज्जीवन के लिये राजस्व भागीदारी मॉडल की संस्तुति दी है।

8.7 पुनरुज्जीवन के संबंध में कंपनी तथा भारत सरकार के प्रयास को ध्यान में रखते हुये दिल्ली उच्च न्यायालय ने 30.8.2010 की सुनवाई में संबंधित विषय को बी.आई.एफ.आर. के पास वापस भेज दिया है ताकि एफ.सी.आई.एल./एच.एफ.सी.एल. के संबंध में लिये गये निर्णय में एकरूपता बनाये रखी जा सके क्योंकि एच.एफ.सी.एल. का मामला भी बी.आई.एफ.आर. के पास विचाराधीन है। बी.आई.एफ.आर. ने 12.11.2010 की सुनवाई में एस.बी.आई. को ओ.ए. नियुक्त किया है।

8.8 कंपनी ने पुनरुज्जीवन के लिये चुने गये विकल्प को कार्यरूप देने के लिये मै. डिलोइट् टच टोमाहात्सु प्राइवेट लिमिटेड को परियोजना सलाहकार नियुक्त किया है। परियोजना सलाहकार ने बोली के मापदंडों आदि पर अपनी रिपोर्ट दे दी है। ई.सी.ओ.एस. ने 4.8.2010 और 3.3.2011 को हुई बैठक में पुनरुज्जीवन विकल्प पर अपनी अंतिम संस्तुति दे दी है। ई.सी.ओ.एस. की संस्तुति के आधार पर उर्वरक विभाग ने सी. सी. ई. ए. की स्वीकृति मांगी है। सी. सी. इ. ए. ने पुनर्वास योजना मसौदा (डी.आर.एस.) तथा पुनरुज्जीवन संबंधी अन्य मापदंडों को स्वीकृति दे दी है तथा उर्वरक विभाग द्वारा इसे कंपनी को 11.8.2011 को सूचित कर दिया गया है। बी. आई. एफ. आर. के 18.8.2011 को अपनी सुनवाई में सी. सी. ई. ए. की स्वीकृति पर विचार किया और एस. बी. आई. को ओ. ए. नियुक्त किया है। ओ. ए. ने कम्पनी द्वारा बी. आई. एफ. आर. को 17.3.2012 को उनके फारमेट में प्रस्तुत की गई डी. आर. एस. का परीक्षण किया है। अब यह बी. आई. एफ. आर. द्वारा नियुक्त परामर्शदाता के पास विचाराधीन है।

2nd meeting held on 24.8.2009 and recommended Revenue Sharing Model for reviving.

8.7 In the meantime, considering the progress made by the company and GOI in the revival, the Hon'ble Delhi High Court in the hearing held on 30.8.2010, referred the matter back to BIFR so that a uniform decision on revival w.r.t. FCIL & HFCL could be taken by BIFR as the matter of HFCL is before the Hon'ble BIFR. BIFR held its hearing on 12.11.2010 and appointed SBI as OA.

8.8 The Company appointed M/s Deloitte Touche Tomahatshu Private Limited as Project Advisor for the implementation of the chosen revival option. The Project Advisor has submitted his report on bid parameters etc. ECOS had further meetings on 4.8.2010 and 3.3.2011 and gave their final recommendations on revival options. Based on the recommendations of ECOS, the Department of Fertilizers sought the approval of the CCEA. CCEA approved Draft Rehabilitation Scheme (DRS) and other parameters of revival and this has been communicated by DOF to the company on 11.8.2011. BIFR in their last hearing held on 18.8.2011 considered the approval of CCEA and appointed SBI as OA. OA has examined DRS submitted by the company to BIFR on 17.03.2012 in the format as desired by BIFR. At present the same is under consideration of the consultant appointed by BIFR.

9.0 सतर्कता विभाग - वर्ष 2011-2012 में इसकी गतिविधियां तथा उपलब्धियां

सतर्कता को प्रबंधन के कार्यकलाप का अभिन्न भाग समझा जाता है। श्री बी. आर. मीणा, आई पी. एस. मुख्य सतर्कता अधिकारी, सतर्कता संबंधी कार्य की देखरेख करते हैं। ये नोएडा कार्यालय में उपलब्ध सीमित स्टाफ के माध्यम से निगम के सतर्कता कार्यों का निदेशन, सुझाव तथा पर्यवेक्षण करते हैं।

सतर्कता विभाग सामान्य प्रशासन में पारदर्शिता और निष्ठा बनाये रखने के लिये तथा एफ सी आई एल में कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिये विभिन्न रोकथाम के उपायों व मानिटरिंग तंत्र के माध्यम से सहायता करता है। जहां पर वांछित परिणाम प्राप्त करने में रोकथाम के उपाय असफल हो जाते हैं वहां पर दंडात्मक विधि को अपनाया जाता है। विशिष्ट सतर्कता मामलों के अतिरिक्त सी. वी. ओ. संवेदनशील स्थानों/विभागों के नियमित एवं आकस्मिक निरीक्षण के माध्यम से एफ सी आई एल की कार्यप्रणाली की मानिटरिंग और समय-समय पर इनका पुनरीक्षण करते हैं, एफ.सी. आई. एल. के विभिन्न एककों का सी. वी. ओ. द्वारा अचानक/नियमित जाँच के दौरान 10-12 लाख रुपये की हानि को पकड़ा है। संगठन में भ्रष्टाचार एवं अन्य अनाचार के रोकथाम के लिये तथा उसे पकड़ने और दंड देने के लिये भी मुख्य सतर्कता अधिकारी अन्य उपायों की पहल करते हैं। कोई कर्मचारी अपना कार्य करते हुये अज्ञानता के कारण गलती करता है जबकि कोई अन्य निजी लाभ के लिये जानबूझ कर ऐसा करता है और संगठन को हानि

9.0 VIGILANCE DEPARTMENT-ITS ACTIVITIES AND ACHIEVEMENTS FOR THE YEAR 2011-2012.

The Vigilance Department is considered to be an integral part of the Management function. Shri B. R. Meena, I.P.S., is looking after the vigilance work as Chief Vigilance Officer. He provides direction, guidance and supervision over the vigilance efforts of the Company with meager staff available in Noida Office.

Vigilance Department assists in maintaining the transparency and integrity in general administration and in increasing the efficiency in FCIL through various preventive measures and monitoring mechanisms. Punitive actions are taken where the preventive measures fail to produce the desired results. Apart from dealing with specific vigilance cases, the CVO also monitors the functioning of FCIL through regular and surprise visits of sensitive spots/ departments and review these from time to time and streamlines the procedures. Wrongful loss of Rs. 10-12 lakh has also been detected by CVO during his surprise/ regular checking to different units of FCIL. CVO also considers initiation of other measures for prevention and detection of and punishment for corruption and other malpractices in the organization. Some employees may commit mistakes unintentionally while performing their duties due to ignorance whereas some others may do so for tangible personal gains causing loss

पहुंचाता है। प्रथम कोटि के कर्मचारियों को सतर्कता विभाग द्वारा सही नियमों और तरीकों के संबंध में शिक्षित किया जाता है। दूसरी कोटि के कर्मचारियों, जिनके खिलाफ शिकायतें होती हैं, सतर्कता विभाग द्वारा जांच की जाती है और दंड देने के लिये सतर्कता कार्यवाही की जाती है।

स्वीकृति सूची और अधिकारियों की सूची, जिनकी सत्यनिष्ठा में शक है, पर निगरानी रखने के लिये वर्ष 2012 के लिये सूची बनायी गयी है।

कर्मचारियों को भ्रष्टाचार के दुष्परिणामों के संबंध में जागरूक करने के लिये 31 अक्टूबर से 5 नवंबर 2011 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया।

10.0 कार्यालय की भाषा के रूप में हिन्दी का प्रयोग

सरकार द्वारा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित जारी निर्देशों तथा वार्षिक कार्यक्रम का निगम में पूरी तरह से पालन किया जाता है। लेकिन कंपनी के बंद हो जाने के कारण ये गतिविधियां सीमित हो गई हैं।

11.0 औद्योगिक संबंध, मानव संसाधन, कल्याण, सुरक्षा तथा भागग्रही प्रबंधन आदि

11.1 31.3.2012 को कर्मचारियों की संख्या 26 है। ये कर्मचारी निगम की सम्पत्ति की सुरक्षा और रखवाली और सांविधिक दायित्वों को पूरा करने के लिए रखे गये हैं। सभी इकाइयों के बंद हो जाने के कारण

to the organization. The first category of employees needs to be educated about the correct rules and procedures by the Vigilance Department as a preventive vigilance measure. The second category requires vigilance action, as punitive measure complaints against whom are normally taken up for investigation by the Vigilance Department.

Agreed list and list of officers of doubtful integrity for the year 2012 are prepared for keeping surveillance.

VIGILANCE AWARENESS WEEK was observed from 31st October to 5th November 2011, for sensitizing the employees about the evil consequences of corruption.

10.0 USE OF HINDI AS OFFICIAL LANGUAGE

The Company complies with annual programme and instructions and all other directives issued by the Government regarding progressive use of Hindi. However due to closure of the company, these activities are kept limited.

11.0 INDUSTRIAL RELATIONS, HUMAN RESOURCE, WELFARE, SAFETY, PARTICIPATIVE MANAGEMENT ETC.

11.1 The staff strength as on 31.3.2012 is 26. The employees are retained on the rolls to look after the safety and security of the properties of the Company and to discharge

जोखिम एवं ज्वलनशील वस्तुओं का निपटान करने के लिये सुरक्षा नियम एवं प्रक्रियाओं का पालन सीमित स्तर तक हुआ है।

12.0 अनुसूचित जाति/जनजाति, भूतपूर्व सैनिकों तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों का नियोजन

अनुसूचित जाति/जनजाति, भूतपूर्व सैनिकों तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के पदों के आरक्षण से संबंधित सरकार के निर्देशों को ध्यान में रखा जाता है। वर्ष के दौरान कोई भर्ती नहीं की गयी है।

13.0 ऊर्जा संरक्षण, तकनीकी अधिग्रहण तथा विदेशी मुद्रा अर्जन एवं निर्गम

भारत सरकार के निगम को बंद करने के निर्णय के कारण वर्ष के दौरान ऊर्जा संरक्षण, तकनीकी अधिग्रहण संबंधी उपाय करने का कोई अभिप्राय नहीं था। वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा अर्जन शून्य रहा।

14.0 लेखा परीक्षक तथा उनकी रिपोर्ट तथा सी.ए.जी. की टिप्पणियां

आपकी कम्पनी के सांविधिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की जाती है। वित्त वर्ष 2011-12 के लिये मै. घोष खन्ना एण्ड कम्पनी को सांविधिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है।

15.0 सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर प्रबंधन की टिप्पणियाँ

वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिये कम्पनी के लेखों पर सांविधिक लेखा परीक्षकों ने रिपोर्ट दे दी है।

statutory obligations of the Company. Due to the closure of all Units, safety rules and procedures were followed to a limited applicable extent while dealing with hazardous and inflammable materials.

12.0 Employment of SCs /STs, Ex-Servicemen and Physically Handicapped Persons

Government's directives with regard to reservation of posts for SCs/STs / Ex-servicemen, including physically handicapped, were kept in view. However, no recruitment has been made during the year.

13. Energy Conservation, Technology Absorption and Foreign Exchange Earnings and out go.

In view of Government's decision for closure of the Company there was no scope to take up any measures for energy conservation, Technology absorption during the year. Foreign Exchange earning was nil during the year.

14.0 Statutory Auditors.

The statutory auditors of your company are appointed by the Comptroller and Auditor General of India. M/s Ghosh Khanna & Company were appointed as Statutory Auditors for the financial year 2011-12.

15.0 Management Comments on Statutory Auditors Report.

The Statutory Auditors of the company have given a report on the accounts of the company for the financial year 2011-12.

16.0 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा लेखों की समीक्षा

कम्पनी अधिनियम 1956 के धारा 619(4) के अंतर्गत 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिये कम्पनी की वित्तीय विवरण पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने अपने दिनांक 14.8.2012 के पत्र के माध्यम से टिप्पणियां की हैं। सी. ए. जी. कार्यालय के सुझाव के अनुसार वर्ष 2011-12 के लिये सी. ए. जी. की टिप्पणियाँ सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ इस वार्षिक रिपोर्ट में अन्यत्र प्रस्तुत की गयी है।

17.0 निदेशकों की उत्तरदायित्व विवरणिका

17.1 कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (2कक) के अनुसार निदेशकों के दायित्व संबंधी विवरण इस प्रकार हैं :

31 मार्च, 2012 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिये वार्षिक लेखों को बनाने में लागू लेखा मानकों का प्रयोग किया गया है तथा किसी बड़ी विभिन्नता की स्थिति में उचित स्पष्टीकरण दिये गये हैं।

निदेशकों ने ऐसी लेखा नीतियों का चयन एवं निरंतर प्रयोग किया है तथा ऐसे निर्णय एवं अनुमान लगाये हैं जो कि युक्तिसंगत एवं विवेकपूर्ण हैं तथा वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के कार्यकलापों का विचाराधीन वर्ष के लिये कंपनी के लाभ-हानि लेखे का सही एवं औचित्यपूर्ण विवरण देते हैं।

16.0 Review of Accounts by Comptroller and Auditor General of India

The Comptroller and Auditor General of India, through their letter dated 14.8.2012 has given comments on the financial statements of your company for the year ending 31st March, 2012 under Sec. 619(4) of the Companies Act, 1956. As advised by the office of CAG of India, the comments of CAG for the year 2011-12 are being placed with the report of Statutory Auditors else where in this Annual Report.

17.0 Directors' Responsibility Statement

17.1 Pursuant to the requirement under section 217(2AA) of the Companies Act 1956, with respect to Directors' Responsibility Statement, it is hereby confirmed:

That in the preparation of the annual accounts for the financial year ended 31st March 2012; the applicable accounting standards have been followed along with proper explanation relation to material departures.

That the Directors have selected such accounting policies and applied them consistently and made judgements and estimates that are reasonable and prudent, so as to give a true and fair view of the state of affairs of the company at the end of the financial year and of the profit or loss of the company for the year under review.

18.0 निदेशक मंडल

	से	तक
1. श्री शाम लाल गोयल, अ.प्र.नि.	31.3.2011	अब तक
2. श्रीमती ललिता दास, निदेशक	22.12.2010	अब तक
3. श्रीमती टी.सी.ए. कल्याणी, निदेशक (वित्त)	30.10.2008	अब तक
4. श्री एस. आनंदन, निदेशक	8.8.2011	अब तक
5. श्री एच. अब्बास, निदेशक	12.9.2008	8.8.2011
6. डॉ. प्रदीप कुमार, विशेष निदेशक, बी.आई.एफ.आर.	4.2.2011	अब तक

18.1 वित्तीय वर्ष 2011-12 में निदेशक मंडल की 5 तथा लेखा परीक्षा समिति की 2 बैठकें हुई। निदेशकों ने कितनी बैठकों में भाग लिया इसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :

नाम	निदेशक मंडल की बैठकें	लेखा परीक्षा समिति की बैठकें
1. श्री शाम लाल गोयल	5	–
2. श्रीमती ललिता दास	4	2
3. श्रीमती टी.सी.ए. कल्याणी	4	2
4. श्री एस. आनंदन	4	2
5. श्री एच. अब्बास	–	–
6. डॉ. प्रदीप कुमार	5	2

19.0 लेखा परीक्षा समिति

कंपनी अधिनियम, 1956 में संशोधन के फलस्वरूप अधिक अच्छे निगमित नियंत्रण हेतु एक नयी धारा 292 क "लेखा परीक्षा समिति" जोड़ दी गयी है। यद्यपि एफ.सी.आई.एल. के प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होने के कारण यह प्रावधान इस पर लागू नहीं होता तथापि अधिक अच्छे निगमित नियंत्रण

18.0 BOARD OF DIRECTORS

	From	To
1. Shri Sham Lal Goyal, C & MD	31.03.2011	Till date
2. Mrs. Lalitha Das, Director	22.12.2010	Till date
3. Mrs. T.C.A. Kalyaani, Director (Finance)	30.10.2008	Till date
4. Shri S. Anandan, Director	08.08.2011	Till date
5. Shri H. Abbas, Director	12.09.2008	8.08.2011
6. Dr. Pradeep Kumar, Special Director, BIFR	04.02.2011	Till date

18.1 There were 5 meetings of Board of Directors and 2 meetings of Audit Committee during the financial year 2011-12. The details of meetings that Directors attended are given below :

Name	Board Meetings	Audit Committee Meetings
1. Shri Sham Lal Goyal	5	–
2. Mrs. Lalitha Das	4	2
3. Mrs. T.C.A. Kalyaani	4	2
4. Shri S. Anandan	4	2
5. Shri H. Abbas	—	—
6. Dr. Pradeep Kumar	5	2

19.0 AUDIT COMMITTEE

In the amended Companies Act 1956, a new section 292A i.e. "Audit Committee" has been inserted, as a measure for better corporate governance. Though the said provision is not applicable in case of FCIL being Private Limited Company, for better

हेतु निदेशक मंडल ने 01.09.2011 को लेखा परीक्षा समिति का पुनर्गठन किया है जिसके निम्नलिखित निदेशक सदस्य है :

1. श्री एस. आनंदन, निदेशक - अध्यक्ष
2. श्रीमती ललिता दास, निदेशक - सदस्य
3. श्रीमती टी.सी.ए. कल्याणी, निदेशक (वित्त) - सदस्य
4. डॉ. प्रदीप कुमार, विशेष निदेशक, बी.आई.एफ.आर. - सदस्य

20.0 आभार प्रदर्शन

निदेशक, वर्ष के दौरान कर्मचारियों की सेवाओं के लिये उनकी सराहना करते हैं। निदेशक विभिन्न मंत्रालयों, भारत सरकार के विभागों तथा राज्य सरकारों तथा विशेष रूप से उर्वरक विभाग के सचिव तथा विभाग के अन्य अधिकारियों को उनके निदेशन, सहयोग तथा सहायता के लिये सादर आभारी हैं।

निदेशक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, वैधानिक लेखा परीक्षकों तथा निगम के कर्मचारियों का उनके बहुमूल्य समर्थन एवं सहयोग के लिये धन्यवाद देते हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

ह०/-

स्थान : नई दिल्ली (टी.सी.ए. कल्याणी)
दिनांक : 19.7.2012 निदेशक (वित्त)

corporate governance, Audit Committee has been reconstituted by the Board on 1.09.2011 comprising of the following Directors :

1. Shri S. Anandan, Director – Chairman
2. Mrs. Lalitha Das, Director – Member
3. Mrs. T. C. A. Kalyaani, Director (Finance) – Member
4. Dr. Pradeep Kumar, Special Director, BIFR – Member

20.0 ACKNOWLEDGEMENTS

The Directors place on record their appreciation for the services of the employees during the year. The Directors gratefully acknowledge the support received from the various Ministries and Departments of the Government of India and State Governments and in particular the Secretary, Department of Fertilizers and other officers of the Department for their guidance, cooperation and support.

The Directors also place on record their sincere thanks to the Comptroller and Auditor General of India, Statutory Auditors and to the employees of the Company for their valued cooperation and support.

For and on behalf of Board of Directors

Sd/-

Place : New Delhi (T.C.A. Kalyaani)
Dated : 19.7.2012 Director (Finance)

निदेशकों की रिपोर्ट का परिशिष्ट
ADDENDUM TO DIRECTORS' REPORT

सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियाँ (सांविधिक लेखा परिक्षकों की दिनांक 19.7.2012 की रिपोर्ट के संदर्भ में) तथा कम्पनी के स्पष्टीकरण

Comments of Statutory Auditors (Reference Statutory Auditors' Report Dated 19.7.2012) and Explanations of the Company.

ए. क्यू सं. टिप्पणियां A.Q.No. Comments on	प्रबंधन के स्पष्टीकरण Reply of the Management
2. (घ) इस रिपोर्ट में प्रयुक्त तुलनपत्र, लाभ एवं हानि लेखा और नकद प्रवाह विवरण में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 की उपधारा (3सी) में संदर्भित अनिवार्य लेखा मानक का पालन हुआ है केवल इन्हें छोड़कर :-	
(d) Balance Sheet, Statement of Profit & Loss and Cash Flow Statement dealt by this report which are drawn up "not on going concern basis" complied with mandatory Accounting standard, referred to in sub section (3C) of Section 211 of the Companies Act, 1956 except :—	
(I) लेखा मानक-2 'वस्तु सूचियों का मूल्यांकन' वस्तु सूचियों का मूल्यांकन ए एस - 2 के अनुसार नहीं किया गया है। कच्चा माल और स्टोर्स एण्ड स्पेयर्स की वस्तुसूचियों का मूल्यांकन लगभग 25% की लागत पर किया गया है तथा तैयार माल, पैकिंग सामग्रियों, रसायन, कैटेलिस्ट, उपभोज्य भंडार, पेन्ट और ल्यूब्रीकेन्ट, मैडिकल स्टोर्स का 100% का प्रावधान निवल वसूली योग्य मूल्य सुनिश्चित किये बिना किया गया है।	वस्तुसूचियों के मूल्यांकन का कार्य मै. पी.डी.आई.एल. ने अगस्त 2009 में पूरा कर दिया था। वस्तुसूचियों के वर्तमान मूल्य का अनुमान लगाने के लिये उनके भौतिक स्थिति, उपयोग करने योग्य स्थिति तथा इसी प्रकार के वस्तुओं का वर्तमान बाजार भाव के आधार को फार्मूला बनाया गया था। पी.डी.आई.एल. द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में उचित बाजार मूल्य की अनुधारणा तथा वर्तमान मूल्य का, मूल्यांकन रिपोर्ट में ध्यान रखा गया है।
I. Accounting standard '2' 'valuation of inventories' to the extent that the inventory has not been valued in accordance with the AS-2. The inventory of raw materials, stores & spares has been valued at approximately 25% of the cost and 100% provision without ascertaining the net realizable value of the inventories has been taken for finished goods, packing materials, chemicals, catalysts, consumable stores, paints & lubricants and medical stores.	Valuation of inventories was done by M/s. PDIL in August 2009. The formula developed for estimation of present value of different categories of inventories was based on their physical condition, usability and present market price of similar new items. The concept of fair market value, current value have been considered in the evaluation report submitted by PDIL.

ए. क्यू. सं. टिप्पणियां A.Q.No. Comments on	प्रबंधन के स्पष्टीकरण Reply of the Management
उपर्युक्त ट्रीटमेंट का कमी/बढ़त के प्रावधान के कारण घाटे में तथा अन्य संबंधित लेखों पर परिणामी प्रभाव क्या होगा, अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है। The consequential impact of the above treatment due to short/excess provisions on loss and other related accounts could not be ascertained.	वस्तुसूचियों के मूल्यांकन में प्रबंधन ने तैयार माल, पैकिंग सामग्री, रसायन, कैटेलिस्ट, उपभोज्य भंडार, पेन्ट, ल्युब्रीकेन्ट, मैडिकल स्टोर्स तथा स्क्रैप के अप्रचलन में तथा कमियों के लिये 100% लागत मूल्य पर प्रावधान करने का निश्चय किया है। In the valuation of inventories, management decided to keep provision for obsolescence and shortages against finished goods, packing materials chemicals, catalyst and consumable stores, paints and lubricants, medical stores and scraps at 100% of the cost. कच्चा माल, स्टोर्स व स्पेयर्स का वर्तमान मूल्य लागत मूल्य का 25% माना गया है। The current value of raw material, stores and spares has been considered at 25% of the cost. मै. पी.डी.आई.एल. द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पंजीकृत मूल्यांकक द्वारा प्रमाणित की गई है तथा निदेशक मंडल द्वारा स्वीकार कर ली गई है। The report submitted by PDIL is certified by registered Valuer and also accepted by the Board of Directors. वर्तमान में बी.आई.एफ.आर. के मार्गदर्शन में कम्पनी के पुनरुज्जीवन का कार्य प्रगति में है। जैसे ही पुनरुज्जीवन का कार्य पूरा हो जायेगा, स्वीकृत और अंगीकृत कर लिया जायेगा, तब वास्तविक स्वीकार की गई वसूली मूल्य को लेखों में ले लिया जायेगा। At present, working on the revival of the Company is in progress under the guidance of BIFR. As soon as revival process is finalized, approved and adopted, the actual accepted value of realization on revival would be adopted in the books of accounts. इस प्रकार निवल वसूली योग्य मूल्य के संबंध में कम्पनी द्वारा वर्ष 2009 में पहले ही सावधानी रखी गयी है।

ए. क्यू. सं. टिप्पणियां A.Q.No. Comments on	प्रबंधन के स्पष्टीकरण Reply of the Management
	It is therefore submitted that, net realizable value of the inventories has already been taken care by the company in the year 2009.
चालू वर्ष में वस्तुसूचियों के अप्रचलन/कमियों से हानि, यदि कोई हो तो जैसा कि हमें सूचित किया गया है, एककों में वस्तु सूची गोदाम, पूरे वर्ष सील रहे हैं और उनका न तो भौतिक सत्यापन हुआ और न ही उनको पिछले वर्ष के आधार पर लिया गया है जो कि बाजार भाव / भौतिक उपलब्धि को ध्यान में रखे बिना किया गया है। Loss, if any, on obsolescence/shortage of inventories during the year could not be ascertained. As per information provided, inventory godowns at the units remained sealed throughout the year and neither their physical status verified nor their realizable value is ascertained during the year and the valuation has been adopted as it was in previous years without considering their market value/ physical availability.	
II. लेखा मानक-15 ''कर्मचारी हित लाभ'' ए एस-15 के अनुसार नहीं दिया गया है। यद्यपि कम्पनी वास्तविक आधार पर प्रावधान कर रही है। II. Accounting Standard 15 'Employees Benefits' to the extent that disclosure in compliance with AS-15 is not given. Although the company is making the provision on actual basis.	ए एस-15 के अनुसार 'कर्मचारी हितलाभ', कर्मचारी हितलाभ का प्रकटन जैसा कि लेखा मानक में परिभाषित है, नीचे दिया गया है :- As per AS-15, 'Employee Benefits', the disclosure of Employee Benefit, as defined in Accounting Standarad are given below:- (क) परिभाषित अंशदान योजना – अंशदान की परिभाषा – 'अंशदान योजना' की मान्यता वर्ष के दौरान व्यय के रूप में इस प्रकार है :- नियोक्ता का भविष्य निधि में अंशदान 4.58 लाख रुपये। (a) Defined contribution plan : Contribution to define 'contribution plan' recognized as expenses for the year as under:

ए. क्यू. सं. टिप्पणियां A.Q.No. Comments on	प्रबंधन के स्पष्टीकरण Reply of the Management

Employers contribution to provident fund Rs. 4.58 lakh.

(ख) परिभाषित हितलाभ योजना –
कर्मचारी आनुतोषिक निधि योजना परिभाषित हितलाभ योजना है जो कि वास्तविक मूल्यांकन पर निर्धारित होता है। 3.51 लाख रुपये जो कि सेवा की अवधि का पहचान कराती है।

(b) Defined Benefit plan : The employees gratuity fund scheme is a defined benefit plan which is determined on actual valuation, Rs. 3.51 lakh which recognizes period of service.

(ग) अवकाश नकदीकरण के दायित्व की मान्यता उसी प्रकार से निर्धारित की गई है जैसे कि आनुतोषिक की ।

(c) The obligation for leave encashment recognized in the same manner as gratuity.

जैसे कि कम्पनी एक रुग्ण कम्पनी है और बी.आई.एफ.आर. के समक्ष है और भारत सरकार के निर्णय के अनुसार सभी कर्मचारियों को वी.एस.एस. प्रस्तावित किया गया था, वास्तविक आधार को प्रावधान के लिये अपनाया गया है। कम्पनी के पुनरुज्जीवन का कार्य पूरा न हो पाने के कारण सभी अवशिष्ट 26 कर्मचारी वी.एस.एस. के अंतर्गत छोड़े जा सकते हैं। अत: बीमांकिक आधार को नहीं अपनाया गया है।

The actual basis is taken for the provisions as the Company is sick Company and before BIFR and in terms of a GoI decision VSS was offered to all the employees and in case of non materialization of revival of the Company, all the residual 26 employees would be released on VSS any time. Hence, actuarial basis is not adopted.

ए. क्यू सं. टिप्पणियां A.Q.No. Comments on	प्रबंधन के स्पष्टीकरण Reply of the Management
III. 'परिसम्पत्ति में क्षति' के संबंध में लेखा मानक-28 - क्षति की हानि बही मूल्य का 95% तथा बाकी बही मूल्य के 5% के बराबर कबाड़/वसूली योग्य मूल्य को निश्चित किये बिना, प्रावधान किया गया है। उपर्युक्त ट्रीटमेंट का, कमी/बढ़त के प्रावधान के कारण घाटे में तथा अन्य संबंधित लेखों पर परिणामी प्रभाव क्या होगा, अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है।	लेखा मानक 28 के अनुसार 'परिसम्पत्ति में छति', कम्पनी (लेखा मानक) नियम 2006 में अधिसूचित, छति से हानि के लिये बही मूल्य का 95% का प्रावधान किया गया है तथा बकाया मूल्य बही मूल्य का 5% के बराबर रखा गया है। वर्तमान में बी.आई.एफ.आर. के मार्गदर्शन में कम्पनी के पुनरुज्जीवन का कार्य प्रगति में है। जैसे ही पुनरुज्जीवन का कार्य पूरा हो जायेगा, स्वीकृत एवं अंगीकृत कर लिया जायेगा, तब वास्तविक स्वीकार की गयी वसूली मूल्य को लेखों में ले लिया जायेगा।
Accounting Standard-28 in respect of 'Impairment of Assets'. Impairment loss has been provided at 95% of the book value of assets leaving residual value equivalent to 5% of the book value without ascertainment of salvage/realizable value of the assets.	In accordance with Accounting Standard-28, "Impairment of Assets" notified under the Companies (Accounting Standard) Rules, 2006, impairment loss has been provided at 95% of the book value of assets leaving residual value equivalent to 5% of the book value.
The consequential impact of the above treatment due to short/excess provisions on loss and other related accounts could not be ascertained.	At present working on the revival of the Company is in progress under the guidance of BIFR. As soon as revival process is finalised, approved and adopted, the actual accepted value of realization on revival would be adopted in the books of accounts.
3. इनके लिये प्रावधान नहीं किया गया है :- 3. Provisions have not been made for:	
(क) सी. डब्ल्यू.सी. से लिये गये 500 लाख रुपये के असुरक्षित ऋण पर 2305.03 लाख रुपये का संचित ब्याज (चालू वर्ष में 247.11 लाख रुपये)	सैन्ट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन से लिये गये ऋण पर 2000-01 के पश्चात लेखा बही में कम्पनी द्वारा ब्याज का प्रावधान करना बन्द कर दिया गया है। वर्ष के दौरान ब्याज के 247.11 लाख रुपये और वर्ष 2000-01 से संचित ब्याज 2305.03 लाख रुपये हुये हैं। जैसा कि पुनरुज्जीवन के लिये आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडल समिति (सी.सी.इ.ए.) द्वारा एक मुश्त समझौता स्वीकृत किया गया है, बकाया राशि का 30% जो लेखों में है, जिसे सी.डब्ल्यू. सी. द्वारा स्वीकार करके एफ.सी.आई.एल. को सूचित कर दिया गया है। इसे बी.आई.एफ.आर. द्वारा पुनरुज्जीवन योजना के अनुमोदन के पश्चात अंगीकृत किया जायेगा।

ए. क्यू सं. टिप्पणियां **A.Q.No. Comments on**	प्रबंधन के स्पष्टीकरण **Reply of the Management**
(a) Accumulated Interest amounting to Rs.2,305.03 lakh on unsecured loan (Current year Rs.247.11 lakh) of Rs. 500.00 lakh taken from C.W.C.	The company discontinued making provision of interest in the books of accounts after 2000-01 in respect of the loan taken from Central Warehousing Corporation. Interest during the current year is Rs.247.11 lakh and accumulated interest since 2000-01 is Rs.2305.03 lakh. However, a one time settlement, as approved for revival by the Cabinet Committee on Economic Affairs, at 30% of the outstanding amount in the books has already been accepted and communicated to FCIL by CWC. It would be adopted on the approval of the Revival Scheme by BIFR.
(ख) तेल आपूर्ति के संबंध में इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन को देरी से भुगतान के कारण देय 4476.49 लाख रुपये का संचित ब्याज (चालू वर्ष में 406.32 लाख रुपये)	इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन को तेल की आपूर्ति से संबंधित देरी से भुगतान किये जाने के विषय में कम्पनी ने 2002-03 से लेखों में प्रावधान करना बन्द कर दिया है। वर्ष के दौरान ब्याज के 406.32 लाख रुपये तथा 2002-03 से संचित ब्याज 4476.49 लाख रुपये है। फिर भी देयता को 30% पर एक मुश्त समझौता के लिये लेखों को मिलान कर लिया गया है और लेखों के अतिरिक्त देयता का प्रावधान किया गया है।
(b) Accumulated interest amounting to Rs.4,476.49 lakh (Current year Rs.406.32 lakh) payable to Indian Oil Corporation on delayed payment towards supply of oil.	The company discontinued to make provision in the books after 2002-03 in respect of IOC for delayed payment towards supply of oil. Interest for the year is Rs.406.32 lakh and accumulated since 2002-03 is Rs.4476.49 lakh. However, the dues have been reconciled for OTS at 30% and the additional liability has been provided in the books.
4. सी.डब्ल्यू.सी. के ऋण सहित विविध देनदार ऋण एवं अग्रिम, विधि लेनदार एवं अन्य देयताओं का बकाया समायोजन और पुष्टि के लिये लंबित है। पुष्टि एवं मिलान पर निर्भर करता है।	विविध देनदारों जैसे आई.ओ.सी., डी.वी.सी. के बकाया की पुष्टि और सी.डब्ल्यू. सी. के ऋण को लेखों से मेल करा लिया गया है तथा लिखित पुष्टि के आधार पर लेखों में अंतर राशि का प्रावधान किया गया है। लिखित पुष्टि

ए. क्यू सं. टिप्पणियां A.Q.No. Comments on	प्रबंधन के स्पष्टीकरण Reply of the Management
	यू.पी.पी.सी.एल., बी.एच.ई.एल., द.पू.रेलवे, सी.आई.एस.एफ. और एस.सी.सी.एल. से भी प्राप्त हो गयी है।
4. Balances in respect of Sundry Debtors, Loans & Advances, Sundry Creditors and other liabilities including loan from CWC are subject to confirmation and reconciliation. Pending such adjustments on reconciliation and confirmation.	The confirmation of balances in respect of sundry creditors like IOC, DVC and loan from CWC have been reconciled and on the basis of written confirmation, the difference amount have been provided in the books. Further, written confirmation is also received from UPPCL, BHEL, S.E. Railways, CISF and SCCL.
5. भूमि की लेखा परिविष्ट जो कि विभिन्न स्थानों पर संबंधित सरकारों से नि:शुल्क प्राप्त हुई है अभी तक लेखित करना है। इनका लेखों पर प्रभाव अनिश्चित है।	स्थायी परिसम्पत्तियाँ जो संबंधित राज्य सरकारों से नि:शुल्क प्राप्त हुई हैं, डी.पी.ई. के दिशा के अनुसार कल्पित मूल्य पर दर्शाये गये हैं। कम्पनी द्वारा स्थायी परिसम्पत्तियाँ खरीदी गई/निर्मित/विकसित की गई को ऐतिहासिक मूल्य में से संचित मूल्यह्रास को घटा कर दर्शाया गया है।
5. Accounting entries for land received free of cost at various locations from the respective Governments are yet to be passed, the impact of the same on the accounts remained unascertained.	Fixed Assets received free of cost from respective State Governments are stated at national value as per DPE guidelines. Fixed Assets/ purchased/ constructed/ developed by the company are stated at historical cost less accumulated depreciation.
6. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा, 383ए के अंतर्गत निगम में 2 जुलाई, 2003 के पश्चात् कंपनी सचिव नहीं है।	भारत सरकार के निर्णय के अनुसार 2002-03 से कम्पनी की उत्पादन इकाइयों का प्रचालन बन्द है और कम्पनी के सभी कर्मचारियों को वी.एस.एस. स्वीकृत किया गया है। वी.एस.एस. के लागू होने के कारण कोई भर्ती नहीं हो सकी है। वर्तमान 26 कर्मचारियों की संख्या के अतिरिक्त बी.आई.एफ.आर. द्वारा बन्द करने की संस्तुति के कारण तथा 1987 के पश्चात वेतनमान में संशोधन न होने के कारण किसी प्रतिभावान को हम इस ओर आकर्षित नहीं कर सके हैं। वर्तमान में निदेशक (वित्त) बोर्ड से संबंधित कार्य को देखती हैं।
6. The Corporation did not have a Company Secretary after 2nd July 2003, as required in terms of Section 383 A of the Companies Act 1956.	The operations of the manufacturing Units of the Company are under closure as per decision by GoI since 2002-03 and VSS has been sanctioned to all the employees of the

ए. क्यू सं. टिप्पणियां A.Q.No. Comments on	प्रबंधन के स्पष्टीकरण Reply of the Management
	Company. Due to the introduction of VSS, no recruitments can be undertaken, apart from the present strength being only 26 employees and the likely eventuality of winding-up recommendation of BIFR and the non-revision of pay scales after 1987, no talent can be attracted. At present, Director (Finance) is associated in looking after the Board matters.
7. माइक्रो, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अनुसार माइक्रो, लघु एवं मध्यम उद्यमों को बकाया देय पर ब्यौरे को प्रकट न करना और अलेखित देय ब्याज, यदि कोई हो तो।	कम्पनी को कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है जिसमें उनकी स्थिति पर माइक्रो, लघु एवं मध्यम उद्यम के अंतर्गत दावा किया गया हो (जैसा कि आपूर्तिकर्ता को अधिसूचित प्राधिकरण के पास माइक्रो, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अंतर्गत फाइल करना अपेक्षित है)।
7. Non-disclosure of particulars and non-accounting of interest liability, if any, on outstanding dues of Micro, Small and Medium, Enterprises as per Micro, Small and Medium, Enterprises Development Act, 2006.	The Company has not received any memorandum (as required to be filed by the suppliers with the notified authority under Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006) claiming their status under Micro, Small and Medium Enterprises. Consequently there are no such entities to whom the company owes dues, which are outstanding more than 45 days as on 31st March, 2012.
8. भारत सरकार ने अपने नोटीफिकेशन संख्या जी. एस.आर. 829(ई) दिनांक 21 अक्तूबर 2003 में सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274(1) (जी) के अंतर्गत निदेशकों के अयोग्यता से संबंधित प्रावधान को लागू होने से मुक्त किया है।	
8. The Central Government has, vide clarification no. GSR 829(E) dated 21st October, 2003, exempted Government Companies from the applicability of the provisions of Section 274(1)(g) of the Companies Act, 1956 relating to disqualification of Directors.	

ए. क्यू सं. टिप्पणियां A.Q.No. Comments on	प्रबंधन के स्पष्टीकरण Reply of the Management

हमारी राय में तथा हमारी जानकारी तथा हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार कथित लेखों पर हमारी उपर्युक्त टिप्पणियों और लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नक में दी गयी टिप्पणियों को लेखा नितियाँ एवं उन पर टिप्पणियों के साथ पढ़ा जाये जो कि कंपनी अधिनियम, 1956 के अनुसार वांछित जानकारी देते हैं, जो कि उचित एवं सत्य है तथा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुरूप है।

Subject to our comments as above, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said accounts read together with the accounting policies and notes there on give the information as required by the Companies Act, 1956 in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India :

(क) तुलन पत्र के मामले में 31 मार्च, 2012 को कंपनी के कार्यकलापों का।

(a) In the case of the Balance Sheet, of the state of affairs of the company as on 31st March, 2012.

(ख) लाभ एवं हानि विवरण के मामले में इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिये हानि का।

(b) In the case of the Statement of Profit & Loss for the year ended on that date.

(ग) नकद प्रवाह विवरण के मामले में इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिये कंपनी के नकद प्रवाह का।

(c) In the case of the Cash Flow Statement, of the cash flow of the company for the year ended on that date.

31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लेखों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में संदर्भित पैराग्राफ-1 का अनुलग्नक
ANNEXURE REFERRED TO IN PARAGRAPH 1 OF THE AUDITORS' REPORT ON ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2012

ए.क्यू.सं. टिप्पणियां A.Q.No. Comments on	प्रबंधन के स्पष्टीकरण Reply of the Management
1. निगम ने, निपटान के लिये रखी परिसम्पत्तियों सहित स्थायी परिसम्पत्तियों का मात्रात्मक ब्यौरों सहित पूर्ण विवरण दर्शाते हुए उचित ब्यौरा रखा है केवल कुछ एककों/प्रभाग को छोड़कर जहाँ कुछ मदों के ब्यौरे अवस्थापन तथा मात्रात्मक विवरणों का उल्लेख नहीं किया गया है या सही स्थिति को नहीं दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त कुछ एककों/प्रभाग में स्थायी परिसम्पत्तियों के रिकार्ड को समय-समय पर लेखित नहीं किया है।	भारत सरकार द्वारा वर्ष 2002 में चालू एककों को बन्द करने के आदेश को जारी करने के पश्चात स्थायी परिसम्पत्तियों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। कोई ख़रीद या निपटान भी नहीं हुआ है। अतः एककों के स्थायी परिसम्पत्तियों के रिकार्ड में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया गया है।
1. The Corporation has generally maintained proper records to show full particulars including quantitative details and situation of fixed assets including retired assets held for disposal except in some units/division, where for some items, particulars, location and quantitative details have not been mentioned or correct locations are not stated. Further, in some units/division, fixed asset records are not updated.	After the closure order of operating Units issued by the Government of India in the year 2002, there was no movement of fixed assets including procurement and disposal. Therefore, no specific updation in the fixed assets records are made in the units.
2. चालू वर्ष के दौरान केन्द्रीय कार्यालय के अतिरिक्त सेवामुक्त अप्रचालित और निपटान के लिये रखी गई परिसम्पत्तियों सहित स्थायी परिसम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन वर्ष में नहीं किया गया है। अतः विसंगतियां, यदि हो तो, पर और उसका लेखों पर प्रभाव के संबंध में हम टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।	वर्ष 2009 में मै. पी.डी.आई.एल. ने स्थायी परिसम्पत्तियों एवं परिसम्पत्तियां जो सक्रिय प्रयोग से मुक्त कर दी गई हैं के भौतिक सत्यापन और जाँच के आधार पर परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन किया था।
2. The physical verification of fixed assets, including assets retired from active use held for disposal, has not been carried out, except Central Office, during the year. As such, we are unable to comment on discrepancies, if any, and its treatment in the accounts.	M/s. PDIL has carried out valuation of assets in the year 2009 on physical verification and inspection of fixed assets, including assets retired from active use.

ए.क्यू.सं. टिप्पणियां A.Q.No. Comments on	प्रबंधन के स्पष्टीकरण Reply of the Management
3. भारत सरकार द्वारा कम्पनी को बन्द करने के आदेश के कारण चालू कम्पनी की कल्पना प्रभावित हुई है। फिर भी चालू वर्ष के दौरान स्थायी परिसम्पत्तियों के मूल भाग का निपटान नहीं किया है। यद्यपि अधिकतर स्थायी परिसम्पतितियाँ सक्रिय प्रयोग से हटा दी गई हैं और निपटान के लिये हैं।	सत्य है। वर्ष में स्थायी परिसम्पत्तियों का निपटान नहीं हुआ है।
3. In view of the closure order issued by the Govt. of India, the going concern assumption has been affected. However, the Corporation has not disposed of substantial part of fixed assets during the year, though major part of the fixed assets have been retired from active use and are held for disposal.	True. No fixed assests have been disposed of during the year.
4. हमें बताया गया है कि वर्ष के दौरान वस्तुसूचियों का भैतिक सत्यापन नहीं किया गया है।	मै. पी.डी.आई.एल. ने वर्ष 2009 के अपने भौतिक सत्यापन के आधार पर वस्तुसूचियों का मूल्यांकन किया है। सभी भंडार सुरक्षित हैं और उनके द्वार वैल्ड कर दिये गये हैं। अब इनका भौतिक सत्यापन करना महँगा काम होगा फिर भी पुनरुज्जीवन के संबंध में इसे यथोचित ध्यान में रखा जायेगा।
4. We are informed that the physical verification of inventory was not conducted during the year.	PDIL has carried out valuation of inventories on its physical verification in the year 2009. All the stores are secured, whose gates are welded and conducting physical verification now would be an expensive process. However, the same would be carried out as a part of due diligence for revival.
5. निगम वस्तुसूचियों का उचित रिकार्ड रख रही है। वस्तुसूचियों के भौतिक सत्यापन के अभाव में हम विसंगतियों, यदि हों तो, उसका लेखों पर प्रभाव पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।	पैरा 4 में स्पष्टीकरण दिया गया है।
5. The Corporation is maintaining proper records of inventory. In the absence of any physical verification for the inventory, we are unable to comment on the discrepancies, if any, and its effects in the accounts.	Replied in Para 4 above.

ए.क्यु.सं. टिप्पणियां A.Q.No. Comments on	प्रबंधन के स्पष्टीकरण Reply of the Management
6. निगम ने कम्पनी अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत रजिस्टर में वर्णित कम्पनी, फर्म या अन्य पार्टियों से कोई सुरक्षित या असुरक्षित ऋण स्वीकृत नहीं किया है।	सत्य है।
6. The Corporation has not granted any loan, secured or unsecured, to companies, firms or other parties stated in the register maintained under Section 301 of the Act.	True.
7. निगम ने अन्य कम्पनी, फर्म या पार्टी से सुरक्षित या असुरक्षित ऋण नहीं लिये हैं जो कि अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत संरक्षित रजिस्टर में वर्णित है।	सत्य है।
7. The Corporation has not taken any loan secured or unsecured from any company, firm or other party, stated under the register maintained u/s 301 of the Act.	True.
8. भारत सरकार द्वारा निगम को बन्द करने के आदेश जारी करने के कारण और फिर निगम में थोड़े से कर्मचारी रहने के कारण वस्तुसूचियों और स्थायी परिसम्पत्तियों को खरीदने और वस्तुओं की बिक्री और सेवा के संबंध में आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया के विषय में हम टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।	भारत सरकार द्वारा बन्द करने के आदेश के पश्चात् परिचालन गतिविधियाँ स्थगित कर दी गयी थीं। अत: वस्तुसूचियों या स्थायी परिसम्पत्तियों की गतिविधि और वस्तुओं की बिक्री एवं सेवाएं नहीं हुई हैं।
8. In view of the order issued by the Government of India for closing the Corporation and further in view of the fact that only a few employees are left in the Corporation, we are unable to comment on the internal control system for the purchase of Inventory and Fixed Assets and sale of goods and services.	After the closure order issued by Govt. of India operational activities were suspended and therefore, there was no movement of inventory or fixed assets and also sale of goods & services.
9. अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत लेन-देन जिसकी रजिस्टर में प्रविष्टि आवश्यक है, उसकी प्रविष्टि कर दी गयी है।	सत्य है।

ए.क्यू.सं. टिप्पणियां A.Q.No. Comments on	प्रबंधन के स्पष्टीकरण Reply of the Management
9. The transactions that need to be entered into a register in pursuance of Section 301 of the Act have been so entered.	True.
10. निगम ने जनता से कोई जमा राशि स्वीकार नहीं की है।	सत्य है।
10. The Corporation has not accepted any deposits from the public.	True.
11. निगम में अपने कर्मचारियों में से ही एक एकक से दूसरे एकक में भेजकर आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की व्यवस्था है। आंतरिक लेखा परीक्षा केवल एककों में वर्ष के कुछ अंश में किया गया है। हमें बताया गया है कि अत्यल्प स्टाफ तथा निगम को बंद करने के आदेश के कारण आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग को विधिवत नहीं बनाये रखा जा सका है।	आंतरिक लेखा परीक्षा केन्द्रीय कार्यालय सहित सभी एककों में किया गया है। स्टाफ की कमी के कारण उपलब्ध जनशक्ति से चक्रानुक्रम में लेखा परीक्षा किया गया है।
11. The Corporation is having an Internal Audit System by its own staff rotating from one unit to other unit. Internal audit was conducted only at plants for part of the year. It has been explained that in view of the skeleton staff and closure orders for the Corporation, the Internal Audit Department could not be maintained properly.	The Internal Audit has been conducted in all the units, including Central Office. In view of the skeleton staff, internal audit was conducted by rotation of available manpower.
12. केन्द्र सरकार द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209(1) (घ) के अंतर्गत लागत रिकार्ड निर्धारित किया हुआ है। हमें बताया गया है कि निगम ने वर्ष 2003 में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष निगम को छूट देने के लिये आवेदन किया है। अभी तक इसकी अनुमति प्राप्त नहीं हुई है। चूंकि उत्पादन गतिविधियाँ बन्द कर दी गयी हैं, लागत रिकार्ड नहीं बनाया गया है और न ही अनुरक्षित किया गया है।	सत्य है।
12. Cost records have been prescribed by the Central Govt. under section 209(1)(d) of the Companies Act, 1956. We are informed that the Corporation has moved an application in the year 2003 to the	True.

ए.क्यू.सं. टिप्पणियां A.Q.No. Comments on	प्रबंधन के स्पष्टीकरण Reply of the Management
competent authority for exempting the Corporation for maintaining such records in view of the orders for closure of the Corporation. However, no such permission has yet been received. Since the production activities have been closed, no cost records have been made and maintained.	
13. निगम ने अविवादास्पद सांविधिक देयताओं सहित भविष्य निधि, आयकर, बिक्रीकर आदि को सामान्यतः नियमित जमा किया है। हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार 31 मार्च, 2012 को सिन्दरी में 91.81 लाख रुपये और रामागुण्डम में 57.30 लाख रुपये के उत्पाद शुल्क को छोड़कर, कोई अविवादास्पद राशि आयकर, सम्पत्तिकर, बिक्रीकर, सेवाकर, सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क, उपकर तथा अन्य वैधानिक देयता के संबंध में, जिस तिथि से देय हुये हैं, छः महीने से अधिक समय तक बकाया नहीं रहे।	सत्य है।
13. The Corporation has been generally regular in depositing undisputed statutory dues including Provident Fund, Income Tax and Sales Tax etc. According to information and explanations given to us, no undisputed amounts payable in respect of income tax, wealth tax, sales tax, service tax, customs duty, excise duty, cess and other statutory dues, were outstanding as on 31st March, 2012 for a period more than six months from the date they became payable, except central excise duty of Rs.91.81 lakh at Sindri Unit and Rs.57.30 lakh at Ramagundam Unit.	True.
14. बिक्रीकर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं उपकर के रूप में जमा न कराई गई विवादास्पद राशि के संबंध में अपेक्षित जानकारी इस रिपोर्ट में संलग्नक के रूप में उपलब्ध है जो कि इसका अभिन्न भाग है और जो प्रबंधन द्वारा उपलब्ध करायी गयी आवश्यक जानकारी एवं स्पष्टीकरणों पर आधारित है।	तथ्यात्मक विवरण।

ए.क्यू.सं. टिप्पणियां A.Q.No. Comments on	प्रबंधन के स्पष्टीकरण Reply of the Management
14. In respect of disputed amounts not deposited on account of sales tax, custom duty, excise duty and cess, the required information is provided by way of an Annexure to this report and which forms an integral part hereof and which is based on the necessary information and explanations provided by the management.	Factual Statement.
15. निगम को वित्त वर्ष के अंत में संचित हानि उसके प्रदत्त पूँजी और आरक्षित से अधिक है। निगम को वर्ष के दौरान एवं गत वित्त वर्ष में नकद हानि हुई है।	सत्य है।
15. The Corporation has accumulated losses at the end of the financial year more than its Paid-up Capital and Reserves. The Corporation has also incurred cash losses during the year and in the immediately proceeding financial year.	True.
16. निगम, वर्ष के अंत तक 959536.98 लाख रुपये के, जिसमें मूलधन, ब्याज और जुर्माना ब्याज के रूप में सभी असुरक्षित ऋण के भुगतान करने में बकायादार रहा है।	सत्य है।
16. The Corporation has defaulted in repayment of all unsecured loan amounting to Rs. 959536.98 lakh on account of principal, interest & penal interest as at the end of the year.	True.
17. हमें दी गयी जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार निगम ने प्रतिभूति के रूप में शेयरों, डिबेंचर और अन्य प्रतिभूतियों के अंतर्गत कोई ऋण या अग्रिम की स्वीकृति नहीं दी है।	सत्य है।
17. According to the information and explanations given to us, the Corporation has not granted any loans and advances on the basis of security by way of pledge of shares, debentures and other securities.	True.

ए.क्यू.सं. टिप्पणियां A.Q.No. Comments on	प्रबंधन के स्पष्टीकरण Reply of the Management
18. निगम चिट फंड कम्पनी नहीं है।	सत्य है।
18. The Corporation is not a Chit Fund Company.	True.
19. निगम, शेयर, प्रतिभूति, डिबेन्चर या अन्य निवेशों पर व्यापार या लेन-देन नहीं करती है।	सत्य है।
19. The Corporation is not dealing or trading in shares, securities, debentures or other investments.	True.
20. हमें दी गयी जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार निगम ने अन्यों के द्वारा लिये गये ऋण पर किसी प्रकार की गारंटी नहीं दी है।	सत्य है।
20. According to the information and explanations given to us, the Corporation has not given any guarantee for loans taken by others.	True.
21. निगम ने वर्ष में किसी प्रकार का मियादी उधार नहीं लिया है।	सत्य है।
21. The Corporation has not obtained any term loan during the year.	True.
22. निगम ने वर्ष में कोई अल्प अवधि ऋण नहीं लिया है।	सत्य है।
22. The Corporation has not raised any short term fund during the year.	True.
23. निगम ने वर्ष में शेयरों का कोई अधिमानी आबंटन नहीं किया है।	सत्य है।
23. The Corporation has not made any preferential allotment of shares during the year.	True.

एक्यू.सं. टिप्पणियां A.Q.No. Comments on	प्रबंधन के स्पष्टीकरण Reply of the Management
24. निगम ने वर्ष में कोई डिबेंचर जारी नहीं किया है।	सत्य है।
24. The Corporation has not issued any debentures.	True.
25. निगम ने पब्लिक इशू द्वारा कोई राशि प्राप्त नहीं की है।	सत्य है।
25. The Corporation has not raised any money through public issues.	True.
26. हमें बताया गया है कि कम्पनी के ऊपर या उसके द्वारा वर्ष में कोई छलपूर्ण रिपोर्ट नहीं पायी गयी है या रिपोर्ट की गई है।	सत्य है।
26. We are informed that no fraud on or by the company has been noticed or reported during the year.	True.

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

हमने दि फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए संलग्न तुलन पत्र तथा इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए संलग्न निगम के लाभ एवं हानि विवरण तथा नकद प्रवाह विवरणिका की लेखा परीक्षा की है। ये वित्तीय विवरणिकाएं कंपनी प्रबंधन का उत्तरदायित्व हैं । हमारा उत्तदायित्व इन वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षा के आधार पर अपनी राय देना है।

हमने लेखा परीक्षा सामान्यत: भारत में स्वीकृत लेखा परीक्षा मानकों के अनुरूप की है। इन मानकों के अनुसार यह अपेक्षित है कि हम लेखा परीक्षा की योजना एवं कार्यान्वयन यह आश्वासन प्राप्त करने के लिये करें कि यह वित्तीय विवरणिकाएं किसी ठोस दोष से मुक्त हैं । लेखा परीक्षा में जांच के आधार पर वित्तीय विवरणिकाओं में धन राशियों तथा प्रगटीकरण के समर्थन में प्रमाण भी सम्मिलित होते हैं। लेखा परीक्षा में प्रयुक्त लेखा नीतियों का मूल्यांकन तथा प्रबंधन द्वारा लगाये गये महत्वपूर्ण अनुमान के साथ संपूर्ण वित्तीय विवरण के प्रस्तुतीकरण का भी मूल्यांकन किया गया है। हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा की गयी लेखा परीक्षा में हमारी राय तर्कसंगत आधार पर दी गई है।

1. जैसा कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 की उपधारा 4(क) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जारी किये गये कंपनी (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2003 के द्वारा अपेक्षित है, हमने उक्त आदेशों के पैराग्राफ 4 एवं 5 के मानकों के बारे में अनुलग्नक में एक वक्तव्य लगा दिया है।

2. उपर्युक्त पैराग्राफ 1 में उल्लिखित अनुलग्नक की टिप्पणियों के अलावा हमारा यह कथन है कि :-

   (क) हमने वह सभी सूचनायें एवं स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिये हैं जो कि हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के लिये आवश्यक हैं।

AUDITORS' REPORT

We have audited the attached Balance Sheet of the Fertilizer Corporation of India Limited, as at 31st March, 2012 and also the Statement of Profit & Loss and Cash Flow. Statement of the company for the year ended on that date annexed thereto. These financial statements are the responsibility of the Company's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

We conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material mis- statement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

1. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2003, issued by the Central Govt. of India in terms of sub-section (4A) of Section 227 of the Companies Act, 1956, we enclose in the Annexure a statement on the matters specified in paragraphs 4 and 5 of the said order.

2. Further to our comments in the Annexure referred to in paragraph 1 above, we report that :

   (a) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.

(ख) हमारी राय में जैसा बहियों की जांच के दौरान प्रतीत हुआ कंपनी ने कानून में अपेक्षित लेखों को उचित लेखा बहियों में रखा है।

(ग) इस रिपोर्ट के अंतर्गत विचारित तुलनपत्र तथा लाभ एवं हानि विवरण तथा नकद प्रवाह विवरणिका लेखा बहियों के अनुरूप हैं।

(घ) इस रिपोर्ट में प्रयुक्त तुलनपत्र, लाभ एवं हानि लेखा और नकद प्रवाह विवरण में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 की उपधारा (3सी) में संदर्भित अनिवार्य लेखा मानक का पालन हुआ है केवल इन्हें छोड़कर :-

I. लेखा मानक-2 'वस्तु सूचियों का मूल्यांकन' वस्तु सूचियों का मूल्यांकन ए एस - 2 के अनुसार नहीं किया गया है। कच्चा माल और स्टोर्स एण्ड स्पेयर्स की वस्तुसूचियों का मूल्यांकन लगभग 25% की लागत पर किया गया है तथा तैयार माल, पैकिंग सामग्रियों, रसायन, कैटेलिस्ट, उपभोज्य भंडार, पेन्ट और ल्यूब्रीकेन्ट, मैडिकल स्टोर्स का 100% का प्रावधान निवल वसूली योग्य मूल्य सुनिश्चित किये बिना किया गया है।

उपर्युक्त ट्रीटमेंट का कमी/बहुत के प्रावधान के कारण घाटे में तथा अन्य संबंधित लेखों पर परिणामी प्रभाव क्या होगा, अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है।

चालू वर्ष में वस्तुसूचियों के अप्रचलन/कमियों से हानि, यदि कोई हो तो जैसा कि हमें सूचित किया गया है, एककों में वस्तु सूची गोदाम, पूरे वर्ष सील रहे हैं

(b) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as appears from our examination of such book.

(c) The Balance Sheet, Statement of Profit & Loss and Cash Flow Statement dealt with by this report are in agreement with the books of account.

(d) Balance Sheet, Statement of Profit & Loss and Cash Flow Statement dealt by this report which are drawn up "not on going concern basis" complied with mandatory Accounting Standard, referred to in sub section (3C) of Section 211 of the Companies Act, 1956 except :-

I. Accounting Standad '2'. 'Valuation of Inventories'. To the extent that the inventory has not been valued in accordance with the AS-2. The Inventory of raw material, stores & spares has been valued at approximately 25% of the cost and 100% provision without ascertaining the net realizable value of the inventories has taken for finished goods packing materials, chemicals, catalyst, consumable stores, paint and lubricants, medical stores.

The consequential impact of the above treatment due to short/ excess provisions on loss and other related accounts could not be ascertained.

Loss, if any, on obsolescence /shortage of inventories during the year. As per information provided inventory godowns at

और उनका न तो भौतिक सत्यापन हुआ और न ही उनका वसूली योग्य मूल्य अभिनिश्चित हुआ है और मूल्यांकन पिछले वर्ष के आधार पर लिया गया है जो कि बाजार भाव / भौतिक उपलब्धि को ध्यान में रखे बिना किया गया है।

the units remained sealed through out the year and neither their physical status verified nor their realizable value is ascertained during the year and the valuation has been adopted at is was in previous years without considering their market value/physical availability.

II. लेखा मानक-15 "कर्मचारी हित लाभ" ए एस-15 के अनुसार नहीं दिया गया है। यद्यपि कम्पनी वास्तविक आधार पर प्रावधान कर रही है।

II. Accounting standard '15'. 'Employees Benefits' to the extent that disclosure in compliance with AS-15 is not given, although the company is making the provision on actual basis.

III. 'परिसम्पत्ति में क्षति' के संबंध में लेखा मानक - 28 – क्षति की हानि बही मूल्य का 95% तथा बाकी बही मूल्य के 5% के बाराबर कबाड़/वसूली योग्य मूल्य को निश्चित किये बिना, प्रावधान किया गया है। उपर्युक्त ट्रीटमेंट का, कमी/बढ़त के प्रावधान के कारण घाटे में तथा अन्य संबंधित लेखों पर परिणामी प्रभाव क्या होगा, अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है।

III. Accounting Standard '28'- in respect of Impairment of assets. Impairment loss has been provided at 95% of the book value of assets leaving residual value equivalent to 5% of the book value without ascertainment of salvage/realizable value of the assets. The consequential impact of the above treatment due to short/ excess provisions on loss and other related accounts could not be ascertained.

3. इनके लिये प्रावधान नहीं किया गया है :-

(क) सी. डब्ल्यू. सी. से लिये गये 500 लाख रुपये के असुरक्षित ऋण पर 2305.03 लाख रुपये का संचित ब्याज (चालू वर्ष में 247.11 लाख रुपये)।

(ख) तेल आपूर्ति के संबंध में इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन को देरी से भुगतान के कारण देय 4476.49 लाख रुपये का संचित ब्याज (चालू वर्ष में 406.32 लाख रुपये)।

3. Provision have not been made for :

(a) Accumulated Interest amounting to Rs. 2305.03 lakh on unsecured loan (Current year Rs. 247.11 lakh) of Rs. 500.00 lakh taken from C.W.C.

(b) Accumulated interest amounting to Rs. 4476.49 lakh (Current year 406.32 lakh) payable to Indian Oil Corporation on delayed payment towards supply of oil.

4. सी.डब्ल्यू.सी. के ऋण सहित विविध देनदार ऋण एवं अग्रिम, विविध लेनदार एवं अन्य देयताओं का बकाया पुष्टि एवं

4 Balances in respect of Sundry Debtors, Loans & Advances, Sundry Creditors and other liabilities

मिलान पर निर्भर करता है। यह समायोजन और पुष्टि के लिये लंबित है।

including loan, from CWC are subject to confirmation and reconciliation, pending such adjustments on reconciliation and confirmation.

5. भूमि की लेखा प्रविष्टि जो कि विभिन्न स्थानों पर संबंधित सरकारों से निःशुल्क प्राप्त हुई हैं अभी तक लेखित करना है। इनका लेखों पर प्रभाव अनिश्चित है।

5. Accounting entries for land received free of cost at various locations from the respective Governments are yet to be passed; the impact of the same on the accounts remained unascertained.

6. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 383ए के अंतर्गत निगम में 2 जुलाई, 2003 के पश्चात अपेक्षित कंपनी सचिव नहीं है।

6. The Corporation did not have a Company Secretary after 2nd July 2003, as required in terms of section 383 A of the Companies Act, 1956.

7. माइक्रो, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अनुसार माइक्रो, लघु एवं मध्यम उद्यमों को बकाया देय पर ब्यौरे को प्रकट न करना और अलेखित देय ब्याज, यदि कोई हो तो को उल्लेखित न करना।

7. Non-disclosure of particulars and non-accounting of interest liability, if any, on outstanding dues of Micro, Small and Medium Enterprises as per Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006.

8. भारत सरकार ने अपने नोटीफिकेशन सं. जी.एस.आर. 829(ई) दिनांक 21 अक्टूबर 2003 में सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274(1) (जी) के अंतर्गत निदेशकों के अयोग्यता से संबंधित प्रावधान को लागू होने से मुक्त किया है।

8. The Central Government has, vide clarification no GSR 829(E) dated 21st October 2003, exempted Government Companies from the applicability of the provisions of section 274(1)(g) of the Companies Act, 1956 relating to disqualification of Directors.

हमारी राय में तथा हमारी जानकारी तथा हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार कथित लेखों पर हमारी उपर्युक्त टिप्पणियों और लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नक में दी गयी टिप्पणियों को लेखा नीतियों एवं उन पर टिप्पणियों के साथ पढ़ा जाये जो कि कंपनी अधिनियम, 1956 के अनुसार वांछित जानकारी देते हैं, जो कि उचित एवं सत्य है तथा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुरूप है।

Subject to our comments as above and our comments in annexure to the auditor's report, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said accounts read together with the accounting policies and notes thereon give the information as required by the Companies Act, 1956 in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India;

(क) तुलन पत्र के मामले में 31 मार्च, 2012 को कंपनी के कार्यकलापों का।

(ख) लाभ एवं हानि विवरण के मामले में इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिये हानि का।

(ग) नगद प्रवाह विवरण के मामले में इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिये कंपनी के नकद प्रवाह का।

कृते मैं. घोष खन्ना एण्ड कम्पनी
सनदी लेखाकार

ह०/-
(रोहित कोहली)
भागीदार
सदस्य सं. 87722
प्रतिष्ठान पंजीकरण सं. : 03366 एन

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 19.7.2012

(a) In the case of the Balance Sheet, of the state of affairs of the company as at 31st March, 2012.

(b) In the case of the statement of Proft & Loss, of the Loss for the year ended on that date.

(c) In the case of the Cash Flow Statement, of the cash flow of the company for the year ended on that date.

For Ghosh Khanna & Co.
Chartered Accountants

Sd/-
(Rohit Kohli)
Partner
M. No. 87722
Firm Registration No. 03366N

Place : New Delhi
Dated : 19.7.2012

31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिये लेखों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में दर्शाये गये पैराग्राफ 1 का अनुलग्नक

1. निगम ने निपटान के लिये रखी परिसम्पत्तियों सहित स्थायी परिसम्पत्तियों का मात्रात्मक ब्यौरों सहित पूर्ण विवरण दर्शाते हुये उचित ब्यौरा रखा है। केवल कुछ एककों/प्रभाग को छोड़कर जहां कुछ मदों, ब्यौरों, अवस्थापन तथा मात्रात्मक विवरणों का उल्लेख नहीं किया गया है या सही अवस्थापनों को नहीं बताया गया है। इसके अतिरिक्त कुछ एककों/प्रभाग के स्थायी परिसम्पत्तियों के रिकार्ड समय-समय पर लेखित नहीं किया है।
2. वर्ष के अंतर्गत स्थायी परिसम्पत्तियों और उन परिसम्पत्तियों का जो उपयोग में नहीं हैं और निपटान के लिये हैं, का भौतिक सत्यापन, केन्द्रीय कार्यालय को छोड़कर, नहीं किया गया है। अतः हम विसंगतियों पर, यदि कोई हो तो और लेखों पर उनका प्रभाव पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।
3. भारत सरकार के बंद करने के आदेश के कारण कंपनी की परिकल्पना को प्रभावित किया है। फिर भी निगम ने वर्ष के दौरान स्थायी परिसम्पत्तियों के मूल भाग का निपटान नहीं किया है। यद्यपि उत्पादन इकाइयों में पड़ी स्थायी परिसम्पत्तियों के अधिकतर हिस्से सक्रिय प्रयोग से निवृत हो गये हैं और निपटान के लिये हैं।
4. हमें बताया गया है कि प्रबंधन ने वर्ष के अंतर्गत वस्तुसूचियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया है।
5. निगम ने वस्तुसूचियों का उचित रिकार्ड रखा है। वस्तुसूचियों के भौतिक सत्यापन के अभाव में, यदि कोई हों तो, और लेखों पर उनके प्रभाव पर हम टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।
6. निगम ने किसी कम्पनी, फर्म या पार्टी को सुरक्षित या असुरक्षित ऋण मंजूर नहीं किया है जो कि अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत संरक्षित रजिस्टर में वर्णित है।

ANNEXURE REFERRED TO IN PARAGRAPH 1 OF THE AUDITORS' REPORT ON ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2012

1. The Corporation has generally maintained proper records to show full particulars including quantitative details and situation of fixed assets including retired assets held for disposal except in some units/ division where for some items particulars location and quantitative details have not been mentioned or correct locations are not stated. Further, in some units/division fixed asset records are not updated.
2. The physical verification of fixed assets including assets retired from active use held for disposal has not been carried out, except Central Office, during the year. As such, we are unable to comment on discrepancies, if any, and its treatment in the accounts.
3. In view of the closure order issued by the Govt. of India, the going concern assumption has been affected. However the Corporation has not disposed off substantial part of fixed assets during the year though major part of the fixed assets have been retired from active use and are held for disposal.
4. We are informed that the physical verification of inventory was not conducted during the year.
5. The Corporation is maintaining proper records of Inventory. In the absence of any physical verification for the inventory, we are unable to comment on the discrepancies, if any and its effects in the accounts.
6. The Corporation has not granted any loan, secured or unsecured to companies, firms or other parties stated in the register maintained under section 301 of the Act.

7. निगम ने अन्य कम्पनी, फर्म या पार्टी से सुरक्षित या असुरक्षित ऋण नहीं लिया है जो कि अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत संरक्षित रजिस्टर में वर्णित है।

8. भारत सरकार द्वारा निगम को बंद करने के आदेश जारी करने के कारण और फिर निगम में थोड़े से कर्मचारी ही बचने के कारण वस्तुसूचियों व स्थायी परिसम्पत्तियों को खरीदने और वस्तुओं की बिक्री और सेवा के संबंध में आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया के विषय में हम टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

9. अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत लेन-देन जिसकी रजिस्टर में प्रविष्टि आवश्यक है, उसकी प्रविष्टि कर दी गयी है।

10. निगम ने जनता से कोई जमा राशि स्वीकार नहीं की है।

11. निगम में अपने कर्मचारियों में से ही एक एकक से दूसरे एकक में भेज कर आंतरिक लेखा परीक्षा करने की प्रणाली है। आंतरिक लेखा परीक्षा केवल एककों में वर्ष के कुछ अंश में किया गया है। हमें बताया गया है कि अत्यल्प स्टाफ तथा निगम को बंद करने के आदेश के कारण आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग को विधिवत नहीं बनाये रखा जा सका है।

12. केन्द्र सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209(1)(घ) के अंतर्गत लागत रिकार्डों को रखना आवश्यक किया हुआ है। हमें बताया गया है कि निगम को बंद करने के आदेश के कारण निगम ने वर्ष 2003 में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष निगम को इस प्रकार के रिकार्ड रखने से छूट देने के लिये आवेदन किया है। अभी तक इस प्रकार की अनुमति प्राप्त नहीं हुई है। चूंकि उत्पादन गतिविधियां बंद कर दी गयी है, लागत रिकार्ड नहीं बनाया और न ही अनुरक्षित किया गया है।

7. The Corporation has not taken any loan secured or unsecured from any company, firm or other party stated under the register maintained under section 301 of the Act.

8. In view of the order issued by the Government of India for closing the Corporation and further in view of the fact that only a few employees are left in the Corporation, we are unable to comment on the internal control system for the purchase of Inventory and Fixed Assets and sale of goods and services.

9. The transactions that need to be entered into a register in pursuance of section 301 of the Act has been so entered.

10. The Corporation has not accepted any deposits from the public.

11. The Corporation is having a Internal Audit System by its own staff rotating from one unit to other unit. Internal audit was conducted only at plants for part of the year. It has been explained that in view of the skeleton staff and closure orders for the Corporation, the internal audit department could not be maintained properly.

12. Cost records have been prescribed by the Central Govt. under section 209(1)(d) of the Companies Act, 1956. We are informed that the Corporation has moved an application in the year 2003 to the competent authority for exempting the Corporation for maintaining such records in view of the orders for closure of the Corporation. However, no such permission has yet been received. Since the production activities have been closed, no cost records have been made and maintained.

13. निगम अविवादास्पद सांविधिक देयतदाओं सहित भविष्य निधि, आयकर, बिक्री कर आदि को जमा करने में सामान्यत: नियमित रहा है। हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार 31 मार्च, 2012 को सिंदरी में 91.81 लाख रुपये तथा रामागुण्डम में 57.30 लाख रुपये उत्पादशुल्क के देय हैं, को छोड़कर देयता की कोई अविवादास्पद राशि आयकर, सम्पत्तिकर, बिक्रीकर, सेवा कर, सीमाशुल्क, उत्पादशुल्क, उपकर तथा अन्य वैधानिक देय के संबंध में जिस तिथि से देय हुये हैं, छः महीने से अधिक समय तक बकाया नहीं रहे।

14. विवादास्पद राशि के संबंध में जो बिक्रीकर, सीमाशुल्क, उत्पादशुल्क एवं उपकर के रूप में जमा नहीं कराई, मांगी गई जानकारी इस रिपोर्ट में संलग्नक के रूप में उपलब्ध है जो कि इसका अभिन्न भाग है और जो प्रबंधन द्वारा उपलब्ध करायी गयी आवश्यक जानकारी एवं स्पष्टीकरणों पर आधारित है।

15. निगम को वित्त वर्ष के अंत में संचित हानि उसके प्रदत्त पूंजी और आरक्षित से अधिक है। निगम को वर्ष के दौरान एवं गत वित्त वर्ष में नगद हानि हुई है। निगम चालू निकाय नहीं है और पिछले वर्षों से राजस्व कमाने की गतिविधि नहीं हुई है। अत: निगम को वर्ष के दौरान और पिछले वित्त वर्ष में नकद हानि हुई है। वर्तमान वित्त वर्ष के अंत में संचित हानि प्रदत्त पूंजी और आरक्षित पूंजी से अधिक है।

16. निगम वर्ष के अंत तक मूलधन, ब्याज और जुर्माना ब्याज के रूप में 959536.98 लाख रुपये के असुरक्षित ऋण की राशि के भुगतान करने में बकायादार रहा है।

17. हमें दी गयी जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, निगम ने प्रतिभूति के रूप में शेयरों, डिबेंचर और अन्य प्रतिभूतियों को गिरवी रख कर कोई ऋण या अग्रिम की स्वीकृति नहीं दी है।

13. The Corporation has been generally regular in depositing undisputed statutory dues including Provident Fund, Income Tax and Sales Tax etc. According to information and explanations given to us, no undisputed amounts payable in respect of income tax, wealth tax, sales tax, service tax, customs duty, excise duty, cess and other statutory dues, were outstanding as on 31st March, 2012 for a period of more than six months from the date they became payable except central excise duty Rs. 91.81 lakh at Sindri Unit and Rs. 57.30 lakh at Ramagundam Unit.

14. In respect of disputed amounts not deposited on account of sales tax, custom duty, excise duty and cess, the required information is provided by way of an Annexure to this report and which forms an integral part hereof and which is based on the necessary information and explanations provided by the management.

15. The Corporaiton has accumulated losses at the end financial year more than its Paid-up Capital and Reserves. The Corporation has also incurred cash losses during the year and in the immediately proceeding financial year.

16. The Corporation has defaulted in repayment of all unsecured loan amounting to Rs. 959536.98 lakh on account of principal, interest & penal interest as at the end of the year.

17. According to the information and explanations given to us, the Corporation has not granted any loans and advances on the basis of security by way of pledge of shares, debentures and other securities.

18. निगम चिट फंड कम्पनी नहीं है।

19. निगम, शेयर, प्रतिभूति, डिबेंचर या अन्य निवेशों पर व्यापार या लेन-देन नहीं करता है।

20. हमें दी गयी जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार निगम ने अन्यों के द्वारा लिये गये उधार पर किसी प्रकार की गारंटी नहीं दी है।

21. निगम ने वर्ष में किसी प्रकार का मियादी ऋण नहीं लिया है।

22. निगम ने वर्ष में कोई अल्प अवधि ऋण नहीं लिया है।

23. निगम ने वर्ष में शेयरों का कोई अधिमानी आबंटन नहीं किया है।

24. निगम ने वर्ष में कोई डिबेंचर जारी नहीं किया है।

25. निगम ने पब्लिक इशू के द्वारा कोई राशि प्राप्त नहीं की है।

26. हमें बताया गया है कि कंपनी के ऊपर या उसके द्वारा वर्ष में कोई छलपूर्ण रिपोर्ट नहीं पायी गयी है या रिपोर्ट की गयी है।

कृते मै. घोष खन्ना एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

ह०/-
(रोहित कोहली)
भागीदार
सदस्य सं. 87722
आईसीएआई पंजीकरण सं. : 03366एन

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 19.7.2012

18. The Corporation is not a Chit Fund Company.

19. The Corporation is not dealing trading in shares, securities, debentures or other investments.

20. According to the information and explanations given to us, the Corporation has not given any guarantee for loans taken by others.

21. The Corporation has not obtained any term loan during the year

22. The Corporation has not raised any short term fund daring the year.

23. The Corporation has not made any preferential allotment of shares during the year.

24. The Corporation has not issued any debentures.

25. The Corporation has not raised any money through public issues.

26. We are informed that no fraud on or by the company has been noticed or reported during the year.

For Ghosh Khanna & Co.
Chartered Accountants

Sd/-
(Rohit Kohli)
Partner
M. No. 87722
ICAI Registration No. 03366N

Place : New Delhi
Dated : 19.07.2012

अनुलग्नक
Annexure

31.3.2012 को समाप्त वर्ष के लिये विवादास्पद सांविधिक देयताओं के ब्योरे
DETAILS OF DISPUTED STATUTORY DUES FOR THE YEAR ENDED ON 31ST MARCH, 2012

क्रमांक Sl. No.	एकक एवं संविधि का नाम Unit and Name of the Statute	देयताओं का प्रकार Nature of dues	राशि (लाख रुपये) Amount (Rs./Lakh)	विवाद सुलझाने का फोरम Forum for Dispute
सिन्दरी Sindri				
1.	बिहार स्वास्थ्य उपकर अधिनियम '77 तथा बिहार और उड़ीसा प्राथमिक शिक्षा अधिनियम, 1990	नोटीफाइड एरिया कमेटी द्वारा स्वास्थ्य उपकर तथा शिक्षा उपकर अधिरोपित	219.67 लाख रुपय + 1996 से ब्याज (सर्वोच्च न्यायालय के अन्तरिम आदेश के अनुसार 30 लाख रुपये का भुगतान न्यायालय को किया)	भारत का सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली
	Bihar Health Cess Act. '77 and Bihar and Orissa Primary Education Act, 1990	Health Cess and Education Cess imporsed by Notified Area Committee	219.67 lakh + Interest from 1996 (Rs. 30 lakh paid to Court as per SC Interim orders).	Supreme Court of India, New Delhi
2.	उत्पाद शुल्क	उत्पाद शुल्क	18.78 लाख रुपये +1977 से ब्याज	उत्पाद शुल्क आयुक्त, पटना
	Excise	Excise duty	18.78 lakh + interest from 1977	Commissioner of Excise, Patna.
3.	उत्पाद शुल्क	उत्पाद शुल्क	315.85 लाख रुपये	सी ई एस ए टी, कोलकाता
	Excise	Excise duty	315.85 lakh	CESAT, Kolkata.
4.	उत्पाद शुल्क	उत्पाद शुल्क	59.90 लाख रुपये	उत्पाद शुल्क आयुक्त, कोलकाता
	Excise	Excise duty	59.90 lakh	Commissioner of Excise, Kolkata

क्रमांक Sl. No.	एकक एवं संविधि का नाम Unit and Name of the Statute	देयताओं का प्रकार Nature of dues	राशि (लाख रुपये) Amount (Rs./Lakh)	विवाद सुलझाने का फोरम Forum for dispute
5.	उत्पाद शुल्क	उत्पाद शुल्क	58.61 लाख रुपये	आयुक्त (उत्पाद शुल्क), राँची
	Excise	Excise duty	58.61 lakh	Commissioner of Excise, Ranchi
6.	उत्पाद शुल्क	उत्पाद शुल्क	118.52 लाख रुपये	अधीक्षक (उत्पाद शुल्क) सिन्दरी
	Excise	Excise duty	118.52 lakh	Supdt. (Excise), Sindri.
7.	बिक्री कर अधिनियम	बिक्री कर तथा जुर्माना	421.65 लाख रुपये	जे सी सी टी, धनबाद
	Sales Tax Act	Sales Tax & Penalty	421.65 lakh	JCCT, Dhanbad
8.	बिक्री कर अधिनियम	बिक्री कर तथा जुर्माना	2009.06 लाख रुपये	सी सी टी, राँची
	Sales Tax Act	Sales Tax & Penalty	2009.06 lakh	CCT, Ranchi
9.	बिक्री कर अधिनियम	बिक्री कर तथा जुर्माना	1.00 लाख रुपये	ए सी सी टी, राँची
	Sales Tax Act	Sales Tax & Penalty	1.00 lakh	ACCT, Ranchi
10.	बिक्री कर अधिनियम	बिक्री कर तथा जुर्माना	5.00 लाख रुपये + 1993-94 से ब्याज	सी सी टी, पटना
	Sales Tax Act	Sales Tax & Penalty	5.00 lakh + Interest from 1993-94	CCT, Patna
गोरखपुर Gorakhpur				
11.	ट्रेड कर अधिनियम	बिक्री कर	0.41 लाख रुपये	उच्च न्यायालय, इलाहाबाद
	Trade Tax Act	Sales Tax	0.41 lakh	High Court, Allahabad
12.	ट्रेड कर अधिनियम	उत्पाद शुल्क	0.32 लाख रुपये	उच्च न्यायालय, इलाहाबाद
	Trade Tax Act	Excise Duty	0.32 lakh	High Court, Allahabad

क्रमांक Sl. No.	एकक एवं संविधि का नाम Unit and Name of the Statute	देयताओं का प्रकार Nature of dues	राशि (लाख रुपये) Amount (Rs./Lakh)	विवाद सुलझाने का फोरम Forum for dispute
रामागुण्डम Ramagundam				
कोई ऐसा मामला नहीं है। No such cases.				
तलचर Talcher				
13.	बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बिक्री कर Sales Tax	2.27 लाख रुपये 2.27 lakh	सहायक आयुक्त बिक्री कर, कटक, उड़ीसा Asstt. Commissioner of Sales Tax, Cuttack, Orissa
कोरबा Korba				
14.	नगर निगम, कोरबा Nagar Nigam, Korba	सम्पत्ति कर Propert Tax	31.72 लाख रुपये 31.72 lakh	उच्च न्यायालय, बिलासपुर High Court, Bilaspur
15.	वन विभाग Forest Department	वन रोपण क्षतिपूर्ति Forest Growth Compensation	8.66 लाख रुपये 8.66 lakh	उच्च न्यायालय, बिलासपुर High Court, Bilaspur
विपणन प्रभाग Marketing Division				
16.	बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बिक्री कर Sales Tax	24.89 लाख रुपये 24.89 lakh	सहायक आयुक्त, बिक्री कर, पटना Asstt. Commissioner of Sales Tax, Patna
17.	बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बिक्री कर Sales Tax	24.00 लाख रुपये 24.00 lakh	सहायक आयुक्त, बिक्री कर, लखनऊ Asstt. Commissioner of Sales Tax, Lucknow

दि फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत टिप्पणी

कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत वित्तीय प्रतिवेदन कार्य संरचना के अनुसार दि फर्टिलाईजर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड की 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण को तैयार करना कंपनी प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 की धार 619(2) के अंतर्गत नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के अनुसार वित्तीय विवरणों पर अपने वृत्तिक निकाय, इन्सटीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित लेखा परीक्षा मानकों एवं आश्वासन के अनुसार निष्पक्ष लेखा परीक्षा के आधार पर अपने विचार व्यक्त करना है। दिनांक 19.7.2012 के लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अंतर्गत यह बताया गया है, कि उन्होंने यह कार्य पूरा कर दिया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिये, कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(3)(बी) के अंतर्गत दि फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिये वित्तीय विवरणों का अनुपूरक लेखा परीक्षण किया है। यह अनुपूरक लेखा परीक्षण स्वतंत्र रूप से सांविधिक लेखा परीक्षकों के प्रलेख को बिना जांचे किया गया है और सांविधिक लेखा परीक्षकों के प्रश्नों और कंपनी वैयक्तिक के जांच और कुछ चुनिंदा लेखा बहियों के परीक्षण तक सीमित है। मेरे लेखा परीक्षण के दौरान कोई महत्वपूर्ण बात मेरी जानकारी में नहीं आई है जिस पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर टिप्पणी करने योग्य या अनुपूरक हो।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
के लिए एवं की ओर से

ह०/-
(यशोधरा राय चौधरी)
वाणिज्यिक लेखा परीक्षा के प्रमुख निदेशक
तथा आडिट बोर्ड-II के पदेन सदस्य
कोलकाता

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 14.8.2012

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 619(4) OF THE COMPANIES ACT, 1956 ON THE ACCOUNTS OF FERTILIZER CORPORATION OF INDIA LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2012.

The preparation of financial statements of Fertilizer Corporation of India Limited for the year ended 31st March 2012 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 1956 is the responsibility of the management of the company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under Section 619(2) of the Companies Act, 1956 is responsible for expressing opinion on these financial statements under section 227 of the Companies Act, 1956 based on independent audit in accordance with the auditing and assurance standards prescribed by their professional body, the Institute of Chartered Accountants of India. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 19.07.2012.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit under section 619(3) (b) of the Companies Act, 1956 of the financial statements of Fertilizer Corporation of India Limited for the year ended 31st March 2012. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditor and is limited primarily to inquiries of the statutory auditor and company personnel and a selective examination of some of the accounting records. On the basis of my audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to Statutory Auditor's report under section 619(4) of the Companies Act, 1956.

For and of behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

Sd/-
(Yashodhara Ray Chaudhuri)
Principal Director of Commercial Audit
& Ex-Officio Member, Audit Board-II
Kolkata

Kolkata
Dated : 14.8.2012

तुलन पत्र
(31 मार्च, 2012 को)

BALANCE SHEET
AS AT 31ST MARCH, 2012

(रुपये '000 में)/(Rs. in 000's)

		अनुसूची संख्या Note No.	31.03.2012 को As at 31.03.2012	31.03.2011 को As at 31.03.2011
इक्विटी एवं देयताएं	**EQUITY & LIABILITIES**			
शेयर धारियों की निधियां	**Shareholders' Funds**			
शेयर पूँजी	Share Capital	2	7,509,239	7,509,239
आरक्षित एवं अधिशेष	Reserves & Surplus	3	(115,239,008)	(109,708,692)
चालू देयताएं नहीं हैं	**Non-Current Liabilities**			
दीर्घ अवधि ऋण	Long term Borrowings	4	27,442,766	27,442,766
दीर्घ अवधि देयताएं	Long term Liabilities	5	81,573,424	76,076,327
दीर्घ अवधि प्रावधान	Long term Provisions	6	187,344	189,336
चालू देयताएं	**Current Liabilities**			
चालू देयताएं	Current Liabilities	5	21,127	12,522
अन्य चालू देयताएं	Other Current Liabilities	7	2,516	1,583
लघु अवधि प्रावधान	Short term Provisions	6	39,123	46,894
योग	**Total**		1,536,531	1,569,975
परिसम्पत्तियाँ	ASSETS			
चालू परिसम्पत्तियाँ नहीं हैं	Non-current Assets			
स्थायी परिसम्पत्तियाँ	Fixed Assets	8		
मूर्त परिसम्पत्तियाँ	Tangible Assets		623,159	627,135

(जारी)/Continued

तुलन पत्र (31 मार्च 2012 को) (जारी)
BALANCE SHEET (As at 31st March, 2012) (Continued)

(रुपये '000 में)/(Rs. in 000's)

		अनुसूची संख्या Note No.	31.03.2012 को As at 31.03.2012	31.03.2011 को As at 31.03.2011
निवेश	Investment	9	5	5
नकद एवं नकद के बराबर	Cash & Cash equivalents	12	9,481	9,109
ऋण एवं अग्रिम	Loans & Advances	13	107,975	108,492
चालू परिसम्पत्तियाँ	**Current Assets**			
वस्तु सूचियाँ	Inventories	10	155,620	155,620
व्यापार प्राप्ति योग्य	Trade Receivable	11	1,015	1,027
नकद एवं नकद के बराबर	Cash & Cash equivalents	12	608,598	642,962
ऋण एवं अग्रिम	Loans & Advances	13	30,678	25,624
योग	Total		1,536,531	1,569,975

उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियाँ तुलन-पत्र का अभिन्न भाग हैं।
The accompanying notes referred to above form an integral part of the Balance Sheet.
यह हमारे इसी तिथि को रिपोर्ट में वर्णित तुलन-पत्र है।
This is the Balance Sheet referred to in our report of even date.

ह०/- Sd/-
(नीरज सिंघल)/(Neeraj Singhal)
निदेशक/Director

ह०/- Sd/-
(टी. सी. ए. कल्याणी)/(T.C.A. Kalyaani)
निदेशक (वित्त)/Director (Finance)

ह०/- Sd/-
(एस. कोंगारी)/(S. Kongari)
महा प्रबंधक/General Manager

ह०/- Sd/-
(सतीश चन्द्र)/(Satish Chandra)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/
Chairman & Managing Director

हमारी इसी तिथि की रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date
कृते मै. घोष खन्ना एण्ड कम्पनी
M/s. Ghosh Khanna & Co.
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
प्रतिष्ठान रजिस्ट्रेशन संख्या 03366 एन
Firm Registration No. 03366N
ह०/- Sd/-
(रोहित कोहली)/(Rohit Kohli)
भागीदार/Partner
एम.संख्या/M.No. : 87722

स्थान/Place : नई दिल्ली/New Delhi
दिनांक/Dated : 19.07.2012

लाभ एवं हानि लेखा (31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिये)
PROFIT & LOSS STATEMENT (For the year ended on 31st March, 2012)

(रुपये '000 में)/(Rs. in 000's)

		अनुसूची संख्या Note No.	31.03.2012 को As at 31.03.2012	31.03.2011 को As at 31.03.2011
अन्य आय	Other Income	15	89,410	118,885
कुल राजस्व	Total Revenue		89,410	118,885
व्यय	**Expenses**			
कर्मचारियों के लाभ पर व्यय	Employee benefit expenses	16	15,854	19,516
वित्त लागत	Finance Cost	17	5,539,097	5,540,980
प्रशासनिक व्यय	Administrative Expenses	18	101,046	99,297
मूल्यह्रास एवं मुक्ति व्यय	Depreciation and amortization expenses	8	2,662	2,862
कुल व्यय	Total Expenses		5,658,659	5,662,655
विशिष्ट एवं असाधारण मदों एवं कर से पहले लाभ	Profit before exceptional and extraordinary items & tax		(5,569,249)	(5,543,770)
असाधारण मद	Extra ordinary Items		182,505	452,193
असाधारण मद एवं कर से पहले लाभ	Profit before exceptional items & Tax		(5,386,744)	(5,091,577)
पूर्व अवधि व्यय	Prior Period Expenses	20	140,888	(6,481)
पूर्व अवधि एवं असाधारण समायोजन के पश्चात लाभ/हानि	Profit/Loss after Prior Period & Extra Ordinary Adjustments		(5,527,632)	(5,085,096)

(जारी)/Continued

लाभ एवं हानि लेखा (31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिये) (जारी)
PROFIT & LOSS STATEMENT (for the year ended on 31st March, 2012) (Continued)

(रुपये '000 में)/(Rs. in 000's)

		अनुसूची संख्या Note No.	31.03.2012 को As at 31.03.2012	31.03.2011 को As at 31.03.2011
जोड़ : पिछले वर्ष से आगे लायी गयी हानि	Add : Loss brought forward from previous years		(109,719,537)	(104,634,441)
तुलन-पत्र में लायी गयी बकाया लाभ/हानि	Balance of Profit/Loss carried over to Balance Sheet		(115,247,169)	(109,719,537)
प्रति इक्विटी शेयर अर्जन	Earnings per equity share			
(1000/- रुपये प्रत्येक अंकित मूल्य)	(Face Value Rs. 1000 each):			
मूल	(1) Basic		-736.11	-677.18
द्रवीय	(2) Diluted		-736.11	-677.18

उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियाँ लाभ एवं हानि लेखा का अभिन्न भाग हैं।
The accompanying notes referred to above form an integral part of the Profit and Loss Statement.
यह हमारे इस तिथि को रिपोर्ट में वर्णित लाभ एवं हानि लेखा विवरण है।
This is the Profit and Loss Statement referred to in our report of even date.

ह०/- Sd/-
(नीरज सिंघल)/(Neeraj Singhal)
निदेशक/Director

ह०/- Sd/-
(टी.सी.ए कल्याणी)/(T.C.A. Kalyaani)
निदेशक (वित्त)/Director (Finance)

ह०/- Sd/-
(एस. कोंगारी)/(S. Kongari)
महा प्रबंधक/General Manager

ह०/- Sd/-
(सतीश चन्द्र)/(Satish Chandra)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/
Chairman & Managing Director

हमारी इसी तिथि की रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date
कृते मै. घोष खन्ना एण्ड कम्पनी
M/s. Ghosh Khanna & Co.
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
प्रतिष्ठान रजिस्ट्रेशन संख्या 03366 एन
Firm Registration No. 03366N
ह०/- Sd/-
(रोहित कोहली)/(Rohit Kohli)
भागीदार/Partner
एम.संख्या/M.No. : 87722

स्थान/Place : नई दिल्ली/New Delhi
दिनांक/Dated : 19.07.2012

अनुसूची-2
शेयर पूंजी
NOTE – 2
SHARE CAPITAL

(रुपये '000 में)/(Rs. in 000's)

		31.03.2012 को As at 31.03.2012	31.03.2011 को As at 31.03.2011
प्राधिकृत 8,000,000 इक्विटी शेयर रु. 1000/- के प्रत्येक (गत वर्ष 8,000,000 इक्विटी (शेयर)	**Authorised** 8,000,000 Equity shares of Rs.1000/-each (Previous Year, 8,000,000 Equity Shares)	8,000,000	8,000,000
जारी किये गये, अभिदत्त एवं पूर्णतः प्रदत्त 7509239 इक्विटी शेयर रुपये 1000 के पूर्णतः प्रदत्त (गत वर्ष 7509239 इक्विटी शेयर)	**Issued, Subscribed &** **Fully paid up** 7509239 Equity shares of Rs. 1000/- each fully paid up (Previous Year, 7509239 Equity Shares)	7,509,239	7,509,239
		7,509,239	7,509, 239

अनुसूची-3
आरक्षित एवं अधिशेष
NOTE – 3
RESERVE AND SURPLUS

(रुपये '000 में)/(Rs. in 000's)

		31.03.2012 को As at 31.03.2012	31.03.2011 को As at 31.03.2011
क. आरक्षित पूंजी	a. Capital Reserve		
प्रारम्भिक शेष	Opening balance	9,950	9,950
घटाएं : प्रावधान	Less : Provision	2,381	—
		7,569	9,950
ख. अन्य आरक्षित (औद्योगिक आवास पर सब्सिडी)	b. Other Reserve (Subsidy on Industrial Housing)		
प्रारम्भिक शेष	Opening balance	895	895
घटाएं : प्रावधान	Less : Provision	303	—
		592	895
लाभ एवं हानि लेखा से अंतरित राशि	Amount T/F from Profit & Loss Statement	(115,247,169)	(109,719,537)
		(115,239,008)	(109,708,692)

अनुसूची-4
दीर्घ अवधि ऋण
NOTE – 4
LONG TERM BORROWINGS

(रुपये '000 में)/(Rs. in 000's)

		31.03.2012 को As at 31.03.2012	31.03.2011 को As at 31.03.2011
असुरक्षित	**Unsecured**		
भारत सरकार से	From Govt. of India	27,392,766	27,392,766
सी.डब्ल्यू. सी. से	From C.W.C.	50,000	50,000
		27,442,766	27,442,766

अनुसूची-5
दीर्घ अवधि देयताएँ
NOTE – 5
LONG TERM LIABILITIES

(रुपये '000 में)/(Rs. in 000's)

		31.03.2012 को As at 31.03.2012	31.03.2011 को As at 31.03.2011
ट्रेड देय	**Trade Pyables**		
पूँजी लेखे पर	On Capital Account	22,309	22,309
ट्रेड पर देयता	On Trade Payables	1,747,791	1,662,352
ट्रेड एवं अन्य जमा	Trade and other deposits	89,853	90,205
प्रतिभूति/बयाना जमा राशि	Security/Earnest money deposit	44,026	43,249
अन्य	**Others**		
भूतपूर्व कर्मचारी	Ex-Employees	31,484	35,151
भूतपूर्व कर्मचारी (आवास पट्टे पर)	Ex-Employees (Lease accommodation)	191,873	186,427
एल. आई. सी. के गारंटी शुल्क पर	LIC Guarantee fee	96,900	279,405
भारत सरकार के ऋण पर उपार्जित एवं देय ब्याज	Interest accrued & due on Govt. of India	79,044,680	73,513,546
सी. डब्ल्यू. सी. के ऋण पर उपार्जित एवं देय ब्याज	Interest accured & due on (CWC)	76,327	76,328
सांविधिक देयताएं व अन्य	Statutory liabilities & others	109,359	106,609
सीमा शुल्क	Custom duty	58,509	509
अन्य देयताएं	Other Liabilities	54,700	55,027
कर्मचारी सुख सुविधा निधि	Worker's Amenities Fund	5,613	5,210
		81,573,424	76,076,327

अनुसूची-5
चालू देयताएं
NOTE – 5
CURRENT LIABILITIES

(रुपये '000 में)/(Rs. in 000's)

		31.03.2012 को As at 31.03.2012	31.03.2011 को As at 31.03.2011
ट्रेड देय	Trade Payables		
खर्चे पर लेनदार	Creditors for Expenses	8,697	447
ट्रेड एवं अन्य जमा	Trade and other deposits	719	619
प्रतिभूति/बयाना राशि जमा	Security / Earnest money deposit	9,154	9,001
सांविधिक देयताएं एवं अन्य	Statutory liabilities & others	2,557	2,455
		21,127	12,522

अनुसूची-6
दीर्घ अवधि प्रावधान
NOTE – 6
LONG TERM PROVISIONS

(रुपये '000 में)/(Rs. in 000's)

		31.03.2012 को As at 31.03.2012	31.03.2011 को As at 31.03.2011
पूंजी खाता	Capital Account	14,923	19,391
व्यय के लिये प्रावधान	Provision for Expenses	145,063	144,382
नोएडा की भूमि पर जुर्माना ब्याज	Penal Interest on NOIDA land	3,420	3,420
नेहरू प्लेस फ्लैट धारक	Nehlu Place Flat onwners	748	802
सांविधिक देयताएं एवं अन्य	Statutory liabilities & others	23,190	21,341
		187,344	189,336

अनुसूची-6
लघु अवधि प्रावधान
NOTE – 6
SHORT TERM PROVISIONS

(रुपये '000 में)/(Rs. in 000's)

		31.03.2012 को As at 31.03.2012	31.03.2011 को As at 31.03.2011
(क) कर्मचारियों के लाभ के लिये प्रावधान	(a) **Provisions for Employees Benefit**		
कर्मचारियों को वेतन	Salary for employees	515	574
भविष्य निधि में अंशदान	Contribution to Provident Fund	230	308
आनुतोषिक (दी गई राशि)	Gratuity (funded)	5,305	6,416
अवकाश नगदीकरण (दी गई राशि)	Leave Encashment (funded)	1,838	2,260
सेवानिवृत्ति (दी गई राशि)	Superannuation (funded)	16,549	19,052
अन्य (वी.एस.एस.-टी.ए., आदि)	Others (VSS-TA, etc.)	5,318	6,374
(ख) अन्य	(b) **Other**		
व्यय के लिये प्रावधान	Provision for Expenses	9,193	11,735
लेखा परीक्षा व्यय के लिये प्रावधान	Provision for Audit Expenses	175	175
		39,123	46,894

अनुसूची-7
अन्य चालू देयताएं
NOTE – 7
OTHER CURRENT LIABILITIES

(रुपये '000 में)/(Rs. in 000's)

		31.03.2012 को As at 31.03.2012	31.03.2011 को As at 31.03.2011
अन्य खाते	Other account	358	0
देय लेखा परीक्षा शुल्क	Audit fee payable	236	232
देय किराया	Rent payable	1,740	1,200
देय विद्युत खर्चे	Electricity expenses payable	171	144
देय जल के खर्चे	Water expenses payable	11	7
		2,516	1,583

अनुसूची-8
स्थायी परिसम्पत्तियाँ
NOTE–8
FIXED ASSETS

(रुपये '000 में)/(Rs. in 000's)

मूर्त परिसम्पत्तियाँ Tangible Assets	सकल खण्ड /Gross Block					संचित मूल्यह्रास/Accumulated Depreciation					निवल खण्ड/Net Block	
	01.4.2011 को बकाया Balance as at 01.04.2011	वृद्धि (निपटान) Addition/ (Disposal)	व्यापार भागीदारी से अर्जित Acquired through business combination	पुनर्मूल्यांकन (क्षति) Revaluation/ (impairment)	31.03.2012 को बकाया Balance as at 31.03.2012	01.4.2011 को बकाया Balance as at 01.04.2011	वर्ष में मूल्यह्रास Depreciation charged for The Year	पुनर्मूल्यांकन के कारण समायोजन Adjustment due to revaluation	निपटान के लिए On Disposals	31.3.2012 को बकाया Balance as at 31.03.2012	01.3.2011 को बकाया Balance as at 31.03.2011	31.3.2012 को बकाया Balance As at 31.03.2012
(क) निपटान के लिये सेवानुक्त परिसम्पत्तियाँ A) Assets retired and held for disposal												
सड़क एवं पुलिया Roads & Culverts	16746				16746	15909				15909	837	837
भवन Buildings	184911				184911	175666				175666	9245	9245
रेल साइडिंग्स Railway Sidings	68414				68414	64993				64993	3421	3421
संयंत्र एवं मशीनरी Plant and Machinery	10075989	-1847			10074142	9572189			-1754	9570435	503800	503707
गैस टरबाईन Gas Turbine	166015				166015	157715				157715	8300	8300
जल प्रणाली, सीवर एवं निकासी Water System, Sewarage and Drainage	122811				122811	116670				116670	6141	6141
विविध उपकरण Misc. Equipments	87558	-376			87182	83181			-358	82823	4377	4359
फर्नीचर, जुड़नार एवं कार्यालय उपकरण Furniture, Fixture and Office Appliances	40333	-470			39863	38320			-446	37874	2013	1989
परिवहन गाड़ियां Transport Vehicles	9482	-400			9082	9007			-380	8627	475	455
	10772259	-3093	0	0	10769166	10233650	0	0	-2938	10230712	538608	538454
पूंजीगत सामग्री Capital Stores	188533				188533	179106				179106	9427	9427
योग (क)/Total (A)	10960792	-3093	0	0	10957699	10412756	0	0	-2938	10409818	548035	547881
(ख) अन्य परिसम्पत्तियां (टाउनशिप सहित) B) Other Assets (Including Township)												
भूमि पट्टे पर Land - Lease Hold	20002				20002	5656	217			5873	14346	14129

(रुपये '000 में) / (Rs. in 000's)

मूर्त परिसम्पत्तियाँ Tangible Assets	सकल खण्ड / Gross Block					संचित मूल्यह्रास / Accumulated Depreciation					निवल खण्ड / Net Block	
	01.4.2011 को शेष Balance as at 01.04.2011	वृद्धि (निपटान) Addition/ (Disposal)	व्यापार संयोजन से अर्जित Acquired through business combination	पुनर्मूल्यांकन (क्षति) Revaluation/ (impairment)	31.03.2012 को शेष Balance as at 31.03.2012	01.4.2011 को शेष Balance as at 01.04.2011	वर्ष में मूल्यह्रास Depreciation charged for The Year	पुनर्मूल्यांकन के कारण समायोजन Adjustment Due to Revaluation	निपटान के लिए On Disposals	31.3.2012 को शेष Balance as at 31.03.2012	01.3.2011 को शेष Balance as at 31.03.2011	31.3.2012 को शेष Balance as at 31.03.2012
भूमि स्वामित्व पर Land – Free Hold	28989				28989	0				0	28989	28989
सड़कें एवं पुलिया Roads & Culverts	15437				15437	12620	132			12752	2817	2685
भवन Buildings	190819				190619	160057	1927			161984	30562	28635
जल प्रणाली, सीवर एवं निकासी Water System, Sewarage and Drainage	39621				39621	38981	168			39149	640	472
विविध उपकरण Misc. Equipments	7311	-101			7210	6992	176		-97	7071	319	139
फर्नीचर, जुड़नार एवं कार्यालय उपकरण Furniture, Fixture and Office Appliances	4099	-122	-52	-1470	2455	2750	2	-194	-124	2434	1349	21
संयंत्र एवं मशीनरी (कम्प्यूटर) Plant & Machinery (Computer)	117	124	52		293	44	39		5	88	73	205
विद्युत उपकरण – टाउनशिप Elect. Instt. Township	1317				1317	1313	1			1314	4	3
योग (ख)/Total (B)	307512	-99	0	-1470	305943	228413	2662	-194	-216	230665	79099	75278
योग (क + ख)/Grand Total (A+B)	11268304	-3192	0	-1470	11263642	10641169	2662	-194	-3154	10640483	627133	623159

अनुसूची-9
निवेश

NOTE – 9
INVESTMENTS

(रुपये '000 में)/(Rs. in 000's)

		31.03.2012 को As at 31.03.2012	31.03.2011 को As at 31.03.2011
व्यापारोत्तर निवेश (अनिवेदित लागत पर)	**Non-Trade Investments (At cost-unquoted)**		
कर्मचारी सहकारी स्टोर्स लि. में पूर्णत: प्रदत्त इक्विटी शेयर	Fully paid up equity shares in Employees Co-operative Stores Limited	15	15
घटाएं : निवेश के मूल्य में कमी के लिये प्रावधान	Less : Provision for diminuition in value of Investments	10	10
		5	5

अनुसूची-10

वस्तु सूचियाँ

NOTE – 10

INVENTORIES

(रुपये '000 में)/(Rs. in 000's)

		31.03.2012 को As at 31.03.2012	31.03.2011 को As at 31.03.2011
क. कच्चा माल (लागत मूल्य पर)	a. Raw Materials (Valued at Cost)	18,723	18,801
घटाएं : अप्रचलन के लिये प्रावधान	Less : Provision for obsolescence	14,042	14,120
		4,681	4,681
ख. पैकिंग सामग्री (लागत मूल्य पर)	b. Packing Materials (Valued at Cost)	3,359	3,282
घटाएं : अप्रचलन के लिये प्रावधान	Less : Provision for obsolescence	3,359	3,282
		—	—
ग. तैयार माल (कम लागत मूल्य पर / निवल वसूली योग्य मूल्य पर मूल्यांकित)	c. Finished goods (valued at lower of cost /net relisable value)	10	13
घटाएं : अप्रचलन के लिये प्रावधान	Less - Provision for obsolescence	10	13
घ. स्टाक व्यापार में	d. Stock in trade	—	—
ङ. स्टोर्स एवं स्पेयर्स (लागत मूल्य पर मूल्यांकित)	e. Stores & Spares (Valued at Cost)	570,220	570,220
मार्गस्थ सामग्री	Goods in transit	4,662	4,662
सामग्री निरीक्षण में	Goods under inspecton	27	27
घटाएं : अप्रचलन के लिये प्रावधान	Less : Provision for obsolescence	423,970	423,970
		150,939	150,939
च. अन्य	f. Others		
मध्यवर्ती/अर्ध-तैयार माल (कम लागत मूल्य पर/निवल वसूली योग्य मूल्य पर मूल्यांकित)	Intermediate / Semi-finished goods (valued at lower of cost/net realisable value)	0	0
उपोत्पाद (निवल वसूली योग्य मूल्य पर मूल्यांकित)	By product (valued at net realisable value)	0	0
		0	0
कबाड़ (अनुमानित वसूली योग्य मूल्य पर मूल्यांकित)	Scrap (valued at estimated realisable value)	14,430	14,430
घटाएं : अप्रचलन के लिये प्रावधान	Less : Provision for obsolescence	14,430	14,430
		0	0
		155,620	155,620

अनुसूची-11
व्यापारिक प्राप्ति योग्य

NOTE – 11
TRADE RECEIVABLES

(रुपये '000 में)/(Rs. in 000's)

		31.03.2012 को As at 31.03.2012	31.03.2011 को As at 31.03.2011
भुगतान वाले दिन से छः महीने से अधिक बकाया जो व्यापारिक प्राप्ति योग्य है।	**Trade receiveables outstanding for a period exceeding six months from the date they are due for payment**		
सुरक्षित खरे समझे गये	Secured Considered good	46	46
असुरक्षित खरे समझे गये	Unsecured considered good	969	969
संदिग्ध समझे गये	Considered Doubtful	186,337	186,343
घटाएं : संदिग्ध ऋणों के लिये प्रावधान	Less : Provision for doubtful debts	186,337	186,331
		1,015	1,027

अनुसूची-12

नकद एवं नकद के बराबर

NOTE – 12

CASH & CASH EQUIVALENTS

(रुपये '000 में)/(Rs. in 000's)

		चालू नहीं/Non Current		चालू/Current	
		31.3.2012 को As on 31.03.2012	31.3.2011 को As on 31.03.2011	31.3.2012 को As on 31.03.2012	31.3.2011 को As on 31.03.2011
(क) बैंक में शेष	(a) **Balance with Banks**				
चालू खाता-I	Current Account I			6,028	6,390
चालू खाता-II (सुख-सुविधा राशि)	Current Account II (Amenities Fund)	544	544		
(ख) नकद हाथे में	(b) **Cash in hand**			321	261
प्रेषण मार्गस्थ में	Remittance in transit				-78
प्रेषण मार्गस्थ में	Remittance in transit				78
(ग) अन्य	(c) **Others**				
मियादी जमा खाता (सुख-सुविधा राशि)	Fixed deposit Accounts (Amenities fund)	5,123	4,751		
मियादी जमा खाता	Fixed deposit Accounts			401,000	479,939
नो लियन फ्लैक्सी जमा खाता	No lien flexi deposit account			165,513	156,372
नो लियन खाता	No lien Account			35,736	—
डाकघर में बचत खाते में जमा (आबकारी विभाग के पास गिरवी)	Deposits with Post Office Savings Bank Account (Pledged with Excise Deptt)	3,814	3,814		
		9,481	9,109	608,598	642,962

अनुसूची-13
ऋण एवं अग्रिम
NOTE – 13
LOANS & ADVANCES

(रुपये '000 में)/(Rs. in 000's)

		चालू नहीं/Non Current		चालू/Current	
		31.3.2012 को As on 31.03.2012	31.3.2011 को As on 31.03.2011	31.3.2012 को As on 31.03.2012	31.3.2011 को As on 31.03.2011
असुरक्षित खरे समझे गये	Unsecured considered good				
(क) संबंधित पार्टियों (एस.सी.जी.) को ऋण एवं अग्रिम	(a) Loans & advances to related parties (SCG)				
गृह निर्माण ऋण	House Building Loan	31	31		
(ख) अन्य किराया संबंधी देयताएँ	(b) Other rental dues	1,113	1,110		
अग्रिम	Advances				
पूर्तिकर्ता	Suppliers	12,378	12,378		512
कर्मचारी	Employees	465	419	241	
जमा	Deposits	684	684	—	
अन्य	Others	337	1,281	2,017	278
पूर्व चुकता व्यय	Pre-paid expenses			399	
किराये की देयता – दुकानदार/अन्य	Rental dues – Shopkeepers/Others	8,071	8,926	2,388	1,806
पट्टे पर किराया-भूतपूर्व कर्मचारी	Lease Rent – Ex employees	2,552	4,749		
किराया, पानी और विद्युत शुल्क-पी.डी.आई. एल.	Rent/Water & Elec. Charges-PDIL	5,942	5,586		
पट्टे पर किराया – रेलवे साइडिंग	Lease Rent Railway siding			374	366
सरकारी प्राधिकरण/ अन्य के पास जमा	Deposit with Govt. Authorities/others	58,273	58,219	25,259	20,180
लघु अवधि जमा पर उपार्जित ब्याज	Interest accured on short term deposit	46	84		
प्राप्ति योग्य राशि :	Accounts receivable :				
आय कर	Income tax	18,021	14,964		
प्राप्ति योग्य राशि (एन.एफ.एल.)	Accounts receivable (NFL)	62	62		
		107,975	108,492	30,678	25,624
असुरक्षित समझे गये	Considered Doubtful	105,662	99,399	—	—
घटाएं : असुरक्षित अन्य ऋण, अग्रिम के लिये प्रावधान	Less : Provision for doubtful other loans advance	105,662	99,399	—	—
		—	—	—	—
		107,975	108,492	30,678	25,624

अनुसूची-14

आकस्मिक देयताएं और बचनबद्धता (जिस सीमा तक प्रावधान नहीं किया गया है)

NOTE – 14

CONTINGENT LIABILITIES AND COMMITMENTS (TO THE EXTENT NOT PROVIDED FOR)

(रुपये '000 में)/(Rs. in 000's)

		31.03.2012 को As at 31.03.2012	31.03.2011 को As at 31.03.2011
(I) आकस्मिक देयताएं	**(I) Contingent liabilities**		
(क) कम्पनी के ऊपर दावे जिसे ऋण नहीं माना गया है:	(a) Claims against the Company not acknowledged as debt :		
बिक्री कर के लिये माँग	Demand for Sales Tax	273,427	249,578
उत्पाद शुल्क/सीमा शुल्क के लिये माँग	Demand for Excise duty/Customs	57,166	115,166
बकाया पूरा किये जाने वाले ठेका की अनुमानित राशि	Estimated amount of Contract remaining to be executed	8,800	11,000
मध्यस्थ के पास/ न्यायालय में लंबित निर्णय	Pending decision of Court/under Arbitration	174,647	205,472
कुल आकस्मिक देयताएं	Total Contingent liabilities	514,041	581,215
(II) बचनबद्धता	**(II) Commitments**	0	0
		514,041	581,215

अनुसूची-15
अन्य आय
NOTE – 15
OTHER INCOME

(रुपये '000 में)/(Rs. in 000's)

		31.03.2012 को As at 31.03.2012	31.03.2011 को As at 31.03.2011
ब्याज से आय	**Interest Income**		
बैंक में जमा	Bank deposits	4	9
लघु अवधि जमा	Short term deposits	48,954	44,714
लघु अवधि जमा (नो लियन खाता)	Short term deposits (No lien account)	3,000	2,124
डाकघर में जमा	Post Office Deposit	0	58
कर्मचारी सुख सुविधा कोष के लिये बैंक में जमा	Bank deposits workers amenities fund	373	211
घटाएं : कर्मचारी सुख-सुविधा कोष को स्थांतरित	Less : Transfer to workers amenities fund	-373	-211
अन्य आय अप्रचालन से	**Other non-operating Income**		
किराया, विद्युत/जल शुल्क की वसूली	Recovery of Rent, Elec./Water charges	5,251	5,343
पट्टे के आवास के किराये की वसूली	Recovery of lease rent from leased Accommodation	6,830	4,389
लाइसेंस फीस की वसूली	Recovery of License fee	5,751	5,592
भूमि के किराये की वसूली	Recovery of rent from land	4,281	3,866
ए.सी.सी. से लाइसेंस फीस (रेलवे साइडिंग) की वसूली	Recovery of Licence fee from ACC (Rly. Siding)	7,486	7,336
एन.एफ.एल. से प्राप्त मशीनरी का पट्टा किराया	Lease rent of Machinery received from NFL	1,103	0
पी.डी.आई.एल. से प्राप्त जल प्रभार	Water charges received from PDIL	270	2,184
टाउन से प्राप्त अन्य आय	Misc Income from Town	996	940
अन्य लघु आय	Other petty income	406	269
टेंडर फीस की वसूली	Recovery of Tender fee	11	12
पंखों के लिये वसूली	Recovery for fans	8	5
प्राप्त किया गया जुर्माना	Penalty recovered	14	0
सिलेंडर के किराये से आय	Rental Income from Cylinder	483	483
वापस लिया गया अधिक का प्रावधान	Excess Provision written-back	4,562	41,562
		89,410	118,886

अनुसूची-16
कर्मचारियों के लाभ पर व्यय
NOTE – 16
EMPLOYEES BENEFIT EXPENSES

(रुपये '000 में)/(Rs. in 000's)

		31.03.2012 को As at 31.03.2012	31.03.2011 को As at 31.03.2011
वेतन एवं भत्ते	Salaries & Wages	12,891	16,185
भविष्य निधि में अंशदान	Contribution to Provident Fund	458	615
वी.एस.एस. पर व्यय	Expenses on VSS	706	751
कर्मचारियों के कल्याण पर व्यय	Staff Welfare Expenses	1,448	1,609
कर्मचारियों को आनुतोषिक	Gratuity to Employees	351	356
		15,854	19,516

अनुसूची-17
वित्तीय लागत
NOTE – 17
FINANCE COSTS

(रुपये '000 में)/(Rs. in 000's)

		31.03.2012 को As at 31.03.2012	31.03.2011 को As at 31.03.2011
भारत सरकार के ऋण पर ब्याज	Interest on Loan From Govt. of India	4,777,833	4,777,833
भारत सरकार के ऋण पर जुर्माना ब्याज	Penal Interest on Loan From Govt. of India	753,301	753,301
अन्य ब्याज	Other Interest	7,963	9,846
		5,539,097	5,540,979

अनुसूची-18
प्रशासनिक व्यय
NOTE – 18
ADMINISTRATIVE EXPENSES

(रुपये '000 में)/(Rs. in 000's)

		31.03.2012 को As at 31.03.2012	31.03.2011 को As at 31.03.2011
लेखा परीक्षा शुल्क	Audit fees	236	232
लेखा परीक्षा व्यय	Audit expenses	182	175
निदेशकों का शुल्क	Director fees	35	0
विद्युत एवं जल प्रभार	Electricity Charges & Water	11,551	10,956
किराया	Rent	600	999
मरम्मत एवं अनुरक्षण	Repair & Maintenance	10,277	9,745
सुरक्षा व्यय	Security Expenses	46,252	42,080
बीमा	Insurance	385	444
दर एवं कर	Rates & Taxes	4,848	4,074
प्रतिधारितों को भुगतान	Payment to retainers	4,425	2,495
वृत्तिक व्यय	Professional expenses	4,545	4,671
ठेके के श्रमिकों पर व्यय	Contract labour expenses	4,508	2,073
विविध व्यय (फैक्ट्री)	Misc. Expenses (Factory)	1,267	1,087
विविध व्यय (प्रशासन)	Misc. Expenses (Admn.)	833	742
विविध व्यय (कम्प्यूटर)	Misc. Expenses (Computer)	79	58
किराये पर वाहन का प्रभार	Hire charges of Vehicles	875	892
ई पी एफ का निरीक्षण प्रभार	Inspection charges of EPF	18	15
जिल्द बांधने का प्रभार	Binding charges	6	15
बैंक प्रभार	Bank charges	46	31
समाचार पत्र एवं पत्रिकाएँ	News papers & periodicals	24	30
गैस्ट हाऊस प्रभार	Guest House Expenses	75	36
प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी	Printing & Stationery	421	474
डाक एवं टेलीग्राम	Postage and Telegram	79	66
टेलीफोन, फैक्स आदि	Telephone, Fax etc.	672	838
यात्रा पर व्यय	Travelling Expenses	1,868	1,543
वाहनों के आवागमन पर खर्चा	Running expenses on vehicles	550	451
सत्कार व्यय	Entertainment Expenses	96	80
संदिग्ध ऋणों के लिये प्रावधान	Provisions for doubtful debts	6,293	14,996
		101,046	99,297

अनुसूची-19
लेखा परीक्षकों को भुगतान
NOTE – 19
PAYMENT TO AUDITORS

(रुपये '000 में)/(Rs. in 000's)

		31.03.2012 को As at 31.03.2012	31.03.2011 को As at 31.03.2011
लेखा परीक्षा शुल्क	Audit Fee	170	170
टैक्स लेखा परीक्षा शुल्क	Tax Audit Fees	40	40
सेवा कर	Service Tax	26	22
		236	232

अनुसूची-20
पूर्व अवधि मदें
NOTE – 20
PRIOR PERIOD ITEMS

(रुपये '000 में)/(Rs. in 000's)

		31.03.2012 को As at 31.03.2012	31.03.2011 को As at 31.03.2011
व्यय	**Expenditure**		
वेतन एवं भत्ते	Salary and Wages	23	27
आबकारी शुल्क/बिक्री कर	Excise duty/Sales Tax	12	0
मरम्मत एवं अनुरक्षण	Repairs & Maintenance	1,470	36
लेखा परीक्षकों का यात्रा व्यय	Auditors Travelling expenses	56	51
सीमा शुल्क	Custom duty	58,000	0
बिजली एवं ईंधन	Power & Fuel	79,180	0
अन्य व्यय	Other expenses	6,319	2,169
नो लियन का ब्याज	Interest No lien	0	759
वापस ली गई राशि	Amount written back	-1,921	0
		143,139	3,042
आय	**Income**		
अन्य विविध आय	Other Misc. Income	1,917	9,523
मूल्यह्रास	Depreciation	334	0
		2,251	9,523
		140,888	-6,481

अनुसूची/NOTE-1

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां तथा लेखों पर टिप्पणियां जो कि 31 मार्च, 2012 को तुलन-पत्र तथा इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिये लाभ हानि लेखा का भाग है।

क. महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

I. वित्तीय विवरणों को तैयार करने का आधार

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परम्परा के अन्तर्गत उपार्जन आधार पर तैयार किये जाते हैं जो कि सामान्यत: भारत में स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुसार हैं। यह "चालू प्रतिष्ठान नहीं" के रूप में बनाये गये हैं और कम्पनी अधिनियम 1956 के प्रावधान के अनुसार हैं जिसे कम्पनी नियम 2006 (लेखा मानक) के साथ पढ़ा जाये। कम्पनी अधिनियम 1956 की संशोधित अनुसूची VI में विनिर्दिष्ट प्रकट करने की अपेक्षा को जहां तक संभव था अनुपालन किया गया है।

II. राजस्व मान्यता

अगर अन्यथा उल्लिखित न हो, आय/व्यय को उपार्जन आधार पर मान्यता दी गई है।

III. स्थाई परिसम्पत्तियां

क) स्थायी परिसम्पत्तियों का उल्लेख उनके ऐतिहासिक लागत पर लिया जाता है।

ख) परिसम्पत्तियों का पूंजीकरण उनके पूरा होने तथा उपयोग में आने के प्रमाणपत्र के बाद किया जाता है।

ग) अगर अन्यथा उल्लिखित न हो, राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकरणों द्वारा नि:शुल्क दी गयी भूमि को नाममात्र की लागत और/या उसके अधिग्रहण पर हुए

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES AND NOTES TO ACCOUNTS, FORMING PART OF BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2012.

A. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

I. BASIS OF PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENT

The Financial Statements are prepared on an accrual basis under Historical Cost Convention and in accordance with generally accepted accounting principles in India and the provisions of the Companies Act, 1956, read with Companies (Accounting Standard) Rules 2006. The disclosure requirements as specified in the revised schedule VI to the Companies Act, 1956 have been complied with to the extent practicable. The financial statements have been prepared on *not going concern basis.*

II. REVENUE RECOGNITION

Income/expenditure is recognized on accrual basis unless otherwise stated.

III. FIXED ASSETS

a) Fixed Assets are stated at Historical Cost.

b) Assets are capitalized after they are certified to be complete and put to use.

c) Land given free by State Governments and other authorities is capitalized at normal cost and/or on the basis of incidental expenditure

आकस्मिक व्यय के आधार पर पूंजीकृत किया जाता है। यह भारत सरकार के सार्वजनिक उद्यम विभाग के निदेशों के अनुसार है।

घ) उन मशीनरी, अतिरिक्त पुर्जों, जिनका उपयोग अनियमित है तथा एक संयंत्र के साथ जुड़ा है का पूंजीकरण लेखा मानक-2 (संशोधित) के प्रावधान के अनुसार किया जाता है।

ङ) अमूर्त परिसम्पत्ति केवल उसे माना गया है जहाँ यह समझा गया है कि भविष्य में कम्पनी को आर्थिक लाभ मिलेगा और लागत व व्यय को विश्वास पूर्वक मापा जा सकता है।

च) सेवामुक्त संयंत्र एवं मशीनरी एवं अन्य परिसम्पत्तियों को उनके वास्तविक मूल्य का 95 प्रतिशत तक मूल्य ह्रासित किया जाता है तथा 5 प्रतिशत को बकाया कीमत के रूप में दर्शाया जाता है।

IV. निवेश

दीर्घ अवधि के निवेशों को लागत पर लिया जाता है। इस प्रकार के निवेश के मूल्य में घटत को, अस्थायी को छोड़ कर लिया जाता है और प्रावधान किया जाता है।

V. मूल्यह्रास

क. 5000/- रु. मूल्य तक की परिसम्पत्तियों को सम्मिलित किये जाने के वर्ष में ही पूरी तरह मूल्यह्रासित कर दिया जाता है।

ख. स्थायी परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास (सेवामुक्त और निपटान के लिये रखी हुई को छोड़कर) कम्पनी अधिनियम, 1956 में निर्धारित अनुसूची XIV के अनुसार परिसम्पत्तियों के कुल लागत पर स्ट्रेट लाइन पद्धति से दरों को लगाया जाता है।

incurred on its acquisition in accordance with the guidelines issued by Department of Public Enterprises, Government of India unless otherwise stated.

d) Machinery spares whose use are expected to be irregular and could be identified with a plant are capitalized in pursuance with provisions of Accounting Standard - 2 (Revised).

e) An intangible asset is reorganized only in case of probability that future Economic Benefits will flow to the company and the cost and expenses could be measured reliably.

f) Retired Plant and Machinery and other assets are depreciated upto 95% of the original cost and 5% are shown as residual value.

IV. INVESTMENT

Long term investments are carried at cost. Decline, other than temporary, in the value of such investment, is recognized and provided for.

V. DEPRECIATION

a) Assets costing up to Rs.5000 are fully depreciated in the year of addition.

b) Depreciation on fixed assets (other than retired and held for disposal) is charged up to the total cost of the assets on straight-line method as per the rates prescribed in Schedule XIV of the Companies Act, 1956.

ग. पट्टे की भूमि को पट्टे की अवधि के पश्चात ऋणमुक्त कर दिया जाता है।

VI. वस्तुसूचियां

क. प्रबंधन ने निश्चित किया है कि वस्तुसूचियों के मूल्यांकन में तैयार माल, पैकिंग सामग्री, रसायन, कैटेलिस्ट, उपभोग योग्य भंडार, पेन्ट व लूब्रीकेन्ट, चिकित्सा भंडार एवं कबाड़ की वस्तुसूचियों के अप्रचलन व कमियों को लागत के 100% पर प्रावधान किया जाये।

ख. वस्तुसूचियों की वर्तमान कीमत जिसमें कच्चामाल, स्टोर्स एवं स्पेयर्स शामिल हैं को लागत का 25% माना गया है।

VII. कर्मचारी लाभ

क. लघु अवधि कर्मचारी लाभ

लघु अवधि कर्मचारी लाभ में आनुतोषिक, वेतन, भत्ते, भविष्यनिधि में अंशदान, देय बीमारी अवकाश, देय वार्षिक अवकाश, आर्थिक लाभ जैसे कि चिकित्सा देखभाल और बिना आर्थिक लाभ जैसे कि वर्तमान कर्मचारियों को मकान, को लेखों में वर्तमान खर्चों में लिया गया है।

ख. सेवानिवृत्ति लाभ

रोजगारान्तर देयताएँ जैसे आनुतोषिक निधि में अंशदान और उपार्जित छुट्टियों के नकदीकरण के लिये प्रावधान वास्तविक आधार पर किया जाता है और लाभ एवं हानि लेखा में डाला जाता है।

c) Lease hold land is amortized over the period of lease.

VI. INVENTORIES

a) In the valuation of inventory, management decided to keep provision for obsolescence and shortages against inventories of finished goods, packing materials, chemicals, catalyst and consumable stores, paints and lubricants, medical stores and scrap at 100% of the cost.

b) The current value of inventories including raw material, stores and spares has been considered at 25% of the cost.

VII. EMPLOYEES BENEFITS

a) **Short Term Employees' Benefits**

Short-term employees' benefit such as gratuity, salary, wages, contribution to provident fund, paid sick leave, paid annual leave, monetary benefits such as medical care and non monetary benefit like houses for current employees are charged off in accounts as current expenditure.

b) **Retirement Benefits**

The liabilities towards post employment i.e. contribution to gratuity fund and provision for encashment of accumulated leaves are made on actual basis and charged to the Profit & Loss Account.

VIII. पूर्व चुकता व्यय

25000/- रुपये मूल्य तक के प्रत्येक पूर्व चुकता व्यय को उसी वर्ष में लेखित किया जाता है जिसमें वह किया गया हो।

ख. लेखों पर टिप्पणियां

1.1 31.3.2012 को निगम की कुल संचित हानि 1152472 लाख रुपये हो गयी जोकि निगम की कुल प्रदत्त पूंजी तथा मुक्त आरक्षित 75092 लाख रुपये से अधिक हो गयी है। रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम (सिका) 1985 में संशोधन के फलस्वरूप निगम इस अधिनियम के सीमा क्षेत्र में आ गया तथा इसी अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत इसे औद्योगिक एवं वित्तीय संरचना बोर्ड (बी. आई.एफ.आर.) को 20.4.1992 को संदर्भित कर दिया गया था तथा बी.आई.एफ. आर. की 6.11.1992 को हुई सुनवाई में निगम को रुग्ण घोषित कर दिया गया था।

1.2 बी.आई.एफ.आर. ने दिनांक 17.5.2004 के आदेश में कंपनी को बंद करने की सिफारिश की तथा अपना मत दिल्ली उच्च न्यायालय को 27.5.2004 को अग्रेषित कर दिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय (कम्पनी क्षेत्राधिकार) ने इसे केस सं. सी पी : 183/2004 में पंजीकृत कर लिया है और एफ.सी.आई.एल. की बन्द पड़ी इकाइयों को पुनरुज्जीवन के भारत सरकार के प्रस्ताव को विचार करते हुए माननीय न्यायालय द्वारा मामले को लंबित रखा है। लेकिन उच्च न्यायालय के निदेशानुसार पाँच करोड़ रुपये दिल्ली उच्च न्यायालय के शासकीय परिसमापक के पास लेनदारों के देयताओं को निपटाने के लिए जिनका एक लाख रुपये तक बकाया है, जमा कर दिया है। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 30.8.2010 की सुनवाई में मामले को वापस बी.आई.एफ.आर. को भेज दिया है ताकि एफ.सी.आई.एल/ एच.एफ.सी.एल. के संबंध में निर्णय में एकरूपता बनाये रखी जा सके क्योंकि एच.एफ.सी.एल. का मामला भी बी. आई.एफ.आर. के समक्ष लंबित है। बी.आई.एफ.आर. ने

VIII. PREPAID EXPENSES

Prepaid expenses upto Rs.25,000/- in each case in accounted for in the year in which they are incurred.

B. NOTES ON ACCOUNTS

1.1 The accumulated loss of the Company as on 31.3.2012 aggregating to Rs.1152472 lakh exceeds it's paid up capital and free reserves aggregating Rs.75092 lakh. Consequent to amendments in the Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act (SICA), 1985, the Company had come within the purview of the said Act and a reference under Section 15 of the Act was made to the Board for Industrial and Financial Reconstruction (BIFR) on 20.4.1992 and the Company was declared sick in the BIFR hearing held on 6.11.1992.

1.2 In the order dated 17.5.2004 the BIFR recommended for winding up of the Company and forwarded its opinion to the Delhi High Court on 27.5.2004. The Hon'ble High Court of Delhi has taken note of the same under case no. CP 183 of 2004 and the matter was kept pending by the Hon'ble Court considering the proposal of GOI to revive the closed units of FCIL. However as per direction of High Court an amount of Rs. 5 crore has been deposited with the Official Liquidator of Delhi High Court to settle the dues of unsecured creditors, having dues up to Rs. 1 lakh. Subsequently, the Hon'ble Delhi High Court in the hearing held on 30.8.2010, referred the matter back to BIFR so that a uniform decision with respect to FCIL & HFCL could be taken by BIFR as the matter of HFCL is also pending

दिनांक 12.11.2010 को सुनवाई में एस. बी. आई. को प्रचालन एजेन्सी (ओ.ए.) नियुक्त किया है।

1.3 संज्ञान के लिये भारत सरकार द्वारा स्वीकृत यूरिया निवेश नीति तथा पुनरुज्जीवन से संबंधित अन्य दस्तावेज दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष पहले ही प्रस्तुत कर दिये गये हैं। निवेश आदि से संबंधित विभिन्न पुनरुज्जीवन विकल्पों को परखने के लिये भारत सरकार ने अक्तूबर 2008 में सचिवों की एक उच्च शक्ति वाली समिति (ई.सी.ओ.एस.) का गठन किया है। ई.सी.ओ. एस. की दिनांक 5.12.2008 को हुई पहली बैठक में एफ. सी. आई. एल. के पुनरुज्जीवन से संबंधित प्रस्तावित कार्यों को वृत्तिक परामर्शदाता के द्वारा कार्य रूप देने के लिये 'विचारार्थ विषयों' की स्वीकृति दी है। फलस्वरूप कम्पनी ने परिसम्पत्ति मूल्यांकन के लिये पी. डी. आई. एल. को नियुक्त किया है और उन्होंने अगस्त 2009 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। कम्पनी ने उपयुक्त पुनरुज्जीवन विकल्प संस्तुति के लिये भी पी. डी. आई. एल. को नियुक्त किया है। पी.डी.आई.एल ने वित्तीय परामर्शदाताओं मै. प्राइस वाटरहाउस कूपर्स तथा मै. वक्कश की सहायता से अपनी संस्तुति दे दी है। ई.सी.ओ.एस. की 24.8.2009 को हुई दूसरी बैठक में परामर्शदाताओं की संस्तुति पर विचार किया गया और पुनरुज्जीवन के लिये राजस्व भागीदारी मॉडल की संस्तुति दी है

1.4 कम्पनी ने पुनरुज्जीवन के लिये चुने गये विकल्प को कार्यरूप देने के लिये मै. डिलोइट् टच टोहमात्सू इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड को परियोजना सलाहकार नियुक्त किया है। परियोजना सलाहकार ने बोली के मापदंडो आदि पर अपनी रिपोर्ट दे दी है। ई.सी.ओ.एस ने 4.8.2010 और 3.3.2011 को हुई बैठक में अपनी अंतिम संस्तुति दे दी है साथ ही 'नामांकन पर' के आधार पर जिसमें एफ. सी. आई. एल. की इक्विटी 11% होगी, एककों के पुनरुज्जीवन के लिये सार्वजनिक उपक्रमों को अनुमति दे दी है। उर्वरक विभाग ने सी.सी.ई.ए. की स्वीकृति मांगी है। सी.सी.ई.ए. ने डी. आर.

before the Hon'ble BIFR. Further SBI has been appointed as Operating Agency (OA) by BIFR in the hearing held on 12.11.2010.

1.3 The new Urea investment policy approved by GoI and other related documents on revival have duly been filed earlier before Hon'ble Delhi High Court for taking cognizance. GoI further constituted an Empowered Committee of Secretaries (ECOS) in October 2008 to examine various revival options w.r.t. investment etc. ECOS had in their 1st meeting held on 5.12.2008 and approved 'Terms of Reference' for revival activities proposed to be taken up through professional Consultants, to enable revival of FCIL. Accordingly, the Company has appointed M/s. PDIL for asset evaluation and they have submitted their report in August 2009. The Company has also appointed M/s. PDIL for recommending suitable revival option. M/s. PDIL with the help of Financial Consultants M/s. Price Waterhouse Coopers and M/s. Vakksh submitted their recommendations. The recommendations of the Consultants have been duly considered by ECOS in their 2nd meeting held on 24.8.2009 and recommended Revenue Sharing Model for reviving.

1.4 The Company appointed M/s Deloitte Touche Tohmatsu India Private Limited as Project Advisor for the implementation of the chosen revival option. The Project Advisor has submitted their report on bid parameters etc. ECOS during meetings on 4.8.2010 and 3.3.2011 gave their final recommendations, including permitting PSUs for revival of the units 'on nomination' basis by giving 11% equity to FCIL. The Department of Fertilizers has sought the approval of the CCEA.

एस. तथा पुनरुज्जीवन संबंधी अन्य मापदंडों की स्वीकृति दे दी है तथा इसे कम्पनी को 11.8.2011 को सूचित कर दिया गया है। बी.आई.एफ.आर. ने 18.8.2011 को सुनवाई में सी.सी. ए.ए. के अनुमोदन पर विचार किया और ओ.ए. को निर्देश दिया कि वह डी.आर.एस. की जाँच करें तथा बी.आई.एफ.आर. द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करें । ओ.ए. ने डी आर. एस. की जाँच कर ली है और मार्च 17, 2012 को बी.आई.एफ. आर. को प्रस्तुत कर दिया है। बी.आई.एफ.आर. ने विचारणीय परिप्रेक्ष्य में 13.7.2012 को अगली सुनवाई की है।

CCEA approved Draft Rehabilitation Scheme (DRS) and other parameters of revival and this has been communicated to the Company on 11.8.2011. BIFR in the hearing held on 18.08.2011 considered the approval of CCAA and directed OA to examine and submit the DRS in the format as prescribed by BIFR. OA has examined the DRS and submitted to BIFR on 17th March, 2012. In the process of consideration, BIFR held further hearing on 13.07.2012.

1.5 कम्पनी के लेखे चालू प्रतिष्ठान नहीं के रूप में बनाये गये हैं क्योंकि कम्पनी की निवल मूल्य लगातार घटती जा रही है जो वित्त वर्ष के अंत में प्रदत्त पूँजी के 50% से अधिक हो गई है।

1.5 As the net worth of the company continues to stand eroded, exceeding 50 percent of the paid up capital at the end of the financial year, the accounts of the Company have been prepared on 'not going concern' basis.

2. स्थायी परिसम्पत्तियाँ तथा पूंजीगत चालू कार्य

2.0 FIXED ASSETS AND CAPITAL WORK-IN-PROGRESS

2.1 तलचर में यद्यपि भूमि प्रत्यक्ष रूप में एफ. सी. आई. एल. के कब्जे में है लेकिन राजस्व रिकार्ड संबंधी औपचारिकता को पूरा नहीं किया जा सका है। तलचर की 7.780 एकड़ भूमि (पिछले वर्ष 7.780 एकड़) भूमि से संबंधित समझौता/कानूनी औपचारिकता पूरी नहीं हो सकी है। यह 'नाल्ला' की भूमि है जो टाऊनशिप में हो कर जाती है तथा कुछ समय पहले जिला के विभाजन के कारण जिला प्रशासन द्वारा भूमि संबंधी ब्यौरा एकत्रित नहीं किया जा सका है। इसे लेखा में 0.40 लाख रुपये का लेखित किया गया है।

2.1 At Talcher, though the land is physically in the possession of FCIL, the formalities with regard to revenue records could not be completed. Agreements / legal formalities remain to be executed with regard to 7.780 acres of land at Talcher (previous year 7.780 acres). This is a land of 'Nalla' passing through the township and due to district bifurcation some time back, the land details could not be compiled by the district authorities. The same has been accounted for at Rs. 0.40 lakh in the books of accounts.

2.2 कोरबा में 885.5 एकड़ भूमि 1974 और 1980 में सरकार से निःशुल्क प्राप्त हुई है लेकिन वर्ष 2005 में छत्तीसगढ़ सरकार ने 885.5 एकड़ भूमि में से 258 एकड़ भूमि कम्पनी/उर्वरक विभाग की स्वीकृति के बिना छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत

2.2 Land measuring 885.5 acres at Korba has been received in 1974 and 1980 free of cost from the State Government. However in the year 2005 Government of Chhatishgarh has allotted 258 acres of land out of 885.5 acres to Chhatishgarh State Electricity Board without obtaining

बोर्ड को आबंटित कर दी है। भूमि आदि के संबंध में उर्वरक विभाग ने अपने पत्र सं. 18021/02/2005- एफ. सी. ए.-1 (खंड IX) दिनांक 25 नवम्बर, 2011 के द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार से सुविधा के लिये पत्र माँगा है।

2.3 लोक उद्यम विभाग के मार्गदर्शन के अनुसार अनुमानित 18.64 लाख रुपये मूल्य की भूमि जो कि उड़ीसा सरकार से निःशुल्क प्राप्त हुई है को लेखों में आरक्षित पूँजी में इसी राशि पर लेखित किया गया है।

2.4 गोरखपुर में निगम को अपनी परियोजना को स्थापित करने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार ने दिसम्बर 1963 से मार्च 1970 तक 993 एकड़ भूमि को अर्जित और आबंटित किया था जिसमें से 40% अर्जित मूल्य जिसकी कीमत 21.78 लाख रुपये आंकी गयी थी का भुगतान एफ.सी.आई.एल. द्वारा सरकार को कर दिया गया था तथा शेष 60% जिसकी कीमत 32.67 लाख रुपये आंकी गयी थी निगम को उपहार स्वरूप दी गयी थी।

2.5 आंध्र प्रदेश राज्य सरकार से रामागुण्डम में नवम्बर 1971 में निःशुल्क प्राप्त 975.12 एकड़ भूमि का लोक उद्यम ब्यूरो के मार्गदर्शन के अनुसार कल्पित मूल्यांकन 4.59 लाख रुपये किया गया है तथा इसे लेखों में समाविष्ट आरक्षित पूँजी के अंतर्गत किया गया है।

2.6 डी ओ एफ और एम एच ए (गृह मंत्रालय) के बीच हुये दिनांक 5.2.2004 के एम ओ यू के अंतर्गत गोरखपुर में कुछ भवन और मकान एस एस बी जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत है को हस्तांतरित कर दिये हैं। गृह मंत्रालय ने पहले संकेत दिया था कि उन्हें यह सम्पत्ति लम्बी अवधि के लिये नहीं चाहिए और वे इन सम्पत्तियों को खाली कर देंगे लेकिन इस पर कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी है।

permission from the company/ DOF. Department of Fertilizers Vide DO no. 18021/02/2005-FCA-1 (VOL. IX) dated November 25, 2011, sought a letter of comfort from Government of Chhattisgarh with regard to the land etc.

2.3 As per the guidelines of Department of Public Enterprises, land notionally valued at Rs.18.64 lakh guidelines, which has been received free of cost from Government of Orissa was taken into books through capital reserve at this value.

2.4 At Gorakhpur, U.P. government acquired and allotted 993 acres of land during December 1963 to March 1970 to the Corporation for its project, out of which 40% of acquisition cost, valued at Rs. 21.78 lakh had been paid to the government by FCIL and the balance 60%, valued at Rs. 32.67 lakh was gifted to the Corporation.

2.5 975.12 acres of land at Ramagundam received from State Govt. of Andhra Pradesh in November 1971 free of cost has been notionally valued at Rs. 4.59 lakh as per the guidelines of Bureau of Public Enterprises and entry of the same in the previous years had been passed in accounts through Capital Reserve.

2.6. At Sindri CRPF have vacated quarters, public buildings and land occupied by them in the township. At Gorakhpur, certain buildings and quarters have been handed over to SSB under Ministry of Home Affairs (MHA) in terms of MOU dated 5.2.2004 between DoF and MHA. MHA had indicated earlier that they would not need these properties on long term basis and would vacate these properties, the action on which has not been initiated.

2.7 तलचर में पुनरुज्जीवन संबंधी अन्तिम निर्णय के होने तक एक आपसी समझौता व्यवस्था के अंतर्गत एच. डब्ल्यू. पी. को दिये गये 202 मकानों के बदले में एच. डब्ल्यू. पी. से 344 मकान प्राप्त हुए हैं। इसका लेखों में समायोजन नहीं किया गया है।

2.7 At Talcher, 202 quarters given to Heavy Water Plant (HWP) in exchange of 344 quarters received from HWP under a mutually agreed arrangement subject to final decision on revival. Accordingly, no adjustment for the same has been carried out in the books.

3.0 **चालू देयताएं एवं प्रावधान**

3.0 **CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS**

3.1 वित्तीय तंगी के कारण मै. सैन्ट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन से लिये गये ऋण पर ब्याज का 2000-01 के बाद कम्पनी द्वारा लेखों में प्रावधान करना बन्द कर दिया है। इस वर्ष का ब्याज 247.11 लाख रुपये है और 2000-01 से संचित ब्याज 2305.03 लाख रुपये है।

वित्तीय तंगी के कारण कम्पनी ने 2002-03 के पश्चात् मै. इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन को तेल आपूर्ति के अंतर्गत देर से किये गये भुगतान के संबंध में है जिसका लेखों में प्रावधान करना बंद कर दिया गया है। इस वर्ष का ब्याज 406.32 लाख रुपये है और 2002-03 से संचित ब्याज 4476.49 लाख रुपये है।

3.1 Due to financial constraints, the company discontinued to make provision of interest in the Books of Accounts after 2000-01 in respect of loan taken from M/s. Central Warehousing Corporation. Interest for the year is Rs. 247.11 lakh and accumulated since 2000-01 is Rs. 2305.03 lakh.

Due to financial constraint the company discontinued to make provision in the Books of Accounts after 2002-03 in respect of Indian Oil Corporation for delayed payment towards supply of oil. Interest for the year is Rs. 406.32 lakh and accumulated since 2002-03 Rs. 4476.49 lakh.

3.2 चालू देयताओं में 969 लाख रुपये (पिछले वर्ष 2794 लाख रुपये) शामिल हैं जो गारंटी फीस के हैं और भारतीय जीवन बीमा निगम के ऋण पर भारत सरकार को गारंटर के रूप में देय हैं।

वर्ष 2007 में रसायन और उर्वरक मंत्रालय के पे एण्ड एकाउन्ट्स कार्यालय ने अपने दिनांक 13.8.2007 के पत्र में 969 लाख रुपये एफ. सी. आई. एल. से प्राप्ति योग्य दिखा कर माँग की है। तब से न तो इसका भुगतान किया गया है और न ही भारत सरकार ने भुगतान के लिए दबाव डाला है। अत: पत्र के आधार पर 1825 लाख रुपये की देयता को इस वर्ष वापस ले लिया है।

3.2 The current liabilities include Rs. 969 Lakh (previous year Rs. 2794 Lakh) shown as guarantee fee, payable to Government of India as guarantor of Life Insurance Corporation loan.

In the year 2007 Pay and Accounts Office of Ministry of Chemicals and Fertilizers claimed Rs. 969 Lakh as receivable from FCIL vide their letter dated 13.8.2007. Since then neither any payment has been made nor has GoI pressed for any payment. Hence, on the basis of the letter, the liability of Rs. 1825 lakh has been withdrawn during the year.

3.3 चालू देयताओं में उन 26 कर्मचारियों के स्वैच्छिक प्रथक्करण योजना क्षतिपूर्ति के 282.99 लाख रुपये (पिछले वर्ष 329.18 लाख रुपये) शामिल है जिनका वी.एस.एस. का आवेदन स्वीकृत हो गया है परन्तु जिन्हें कार्य की आवश्यकता के कारण 31.03.2012 तक कार्यमुक्त नहीं किया जा सका। इन कर्मचारियों की सेवामुक्ति के समय 31.03.2012 को प्रावधान की गयी देयता तथा वास्तविक भुगतान में आये अन्तर को इन कर्मचारियों के वास्तविक सेवामुक्ति के बाद लेखित किया जायेगा।

3.4 विविध लेनदार में 5.23 लाख रुपये शामिल हैं जो कि गोरखपुर एकक के 9 कर्मचारियों जिन्होंने वी. एस. एस. नहीं अपनाया है और जिनकी आई डी एक्ट के अंतर्गत सेवा समाप्त कर दी गयी थी, को आनुतोषिक एवं अर्जित अवकाश आदि का चैकों द्वारा भुगतान के संबंध में है।

3.5 वर्ष के दौरान कम्पनी ने भारत सरकार के बकाया मूल ऋण के 273927.66 लाख रुपये पर साधारण ब्याज के 47778.33 लाख रुपये और जुर्माना ब्याज के 7533.01 लाख रुपये का प्रावधान किया है।

3.6 वर्ष 2011-12 में 585.92 लाख रुपये के अंतर की राशि के 409.67 लाख रुपये ब्याज सहित का प्रावधान लेखों में कर दिया गया है जो कि मै. इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन को 1.4.2001 से 31.3.2002 तक का देरी से भुगतान करने के संबंध में है जो दोनों पक्षों की ओ टी एस के लिये केन्द्रीय कार्यालय, नोएडा में हुई बैठक पर आधारित है और जिसका अनुमोदन सी.एम.डी. द्वारा 22.12.2011 को हुआ है।

3.7 वर्ष 2011-12 में 203.10 लाख रुपये अंतर की राशि का प्रावधान लेखों में कर दिया गया है (डी वी सी के 5860 लाख रुपये दावा की गयी राशि जिसका मिलान कर लिया गया है) जो कि डी वी सी को भुगतान करना है जिसका एक साथ बैठकर मिलान कर लिया गया है और केन्द्रीय कार्यालय नोएडा में ओ.टी.एस. की बैठक में दावा किया गया था और सी.एम.डी द्वारा 22.12.2011 को अनुमोदित किया गया है।

3.3 Current liability includes an amount of Rs.282.99 lakh (previous year Rs. 329.18 Lakh) in respect of VSS compensation to 26 employees whose request for VSS has been accepted but they have not been relieved by 31.03.2012 due to exigencies of work. Any difference in actual payment compared to liability provided as on 31.03.2012 will be accounted for after release of these employees.

3.4 Sundry creditors include Rs. 5.23 lakh in respect of payment by cheque towards gratuity and earned leave etc. not accepted by nine employees of Gotakhpur Unit who had not opted for VSS and were terminated as per ID Act.

3.5 During the year the company has provided normal interest of Rs. 47778.33 lakh and penal interest of Rs. 7533.01 lakh on principal outstanding loan of Rs. 273927.66 lakh from Govt. of India.

3.6 Differential amount of Rs. 585.92 lakh including interest of Rs. 409.67 lakh has been provided in the books of accounts during the year 2011-12 for the delayed payment for the period from 01.04.2001 to 31.03.2002 against the dues payable to M/s. Indian Oil Corporation Ltd (M/s. IOCL) as per joint reconciliation for OTS held at Corporate Office, NOIDA on 17.11.2011 and duly approved by C&MD on 22.12.2011.

3.7 Differential amount of Rs. 203.10 lakh has been provided in the books of accounts during the year 2011-12 (to reach the reconciled claim amount of DVC amounting to Rs. 5860 lakh) against the payable to M/s. Damodar Valley Corporation (DVC) as per the joint reconciliation & claim by DVC in the OTS meeting held at Corporate Office, NOIDA and duly approved by C&MD on 22.12.2011.

4.0 विविध

4.1 निदेशक मंडल की राय है कि सामान्य व्यापार स्थिति में निगम के बंद होने/निपटान से चालू परिसम्पत्तियों, ऋण एवं अग्रिम का वसूली योग्य मूल्य कम से कम वित्तीय विवरण में दर्शाये गये मूल्य के बराबर तो है ही।

4.2 निगम के बन्द होने के निर्णय के कारण निगम को लागत लेखा रिकार्ड उर्वरक नियम 1993 के अर्न्तगत रखे जाने वाले लागत रिकार्डों को बनाने से मुक्ति मिल गयी है तथा इसके लिये सक्षम प्राधिकरण से स्वीकृति अभी मिलनी बाकी है।

4.3 विविध देनदारों, लेनदारों, कर्मचारियों, ऋणदाता एवं अन्य से अधिशेषों की पुष्टि नहीं हुई है। लेखों में विसंगति, यदि कोई हो तो, के संबंध में अभिनिश्चत नहीं किया जा सकता।

4.4 बिक्री कर का निर्धारण (जो सुनवाई के लिये लंबित है को छोड़कर) 2009-10 तक पूरा कर लिया गया है। संयुक्त निर्धारण वित्त वर्ष 2009-10 तक पूरा कर लिया गया है।

4.5 भारत सरकार के वर्ष 2002 में उत्पादन गतिविधि को बन्द करने और वी. एस.एस. के अंतर्गत कर्मचारियों को सेवामुक्त करने के निर्णय के कारण तथा बी.आई. एफ. आर. द्वारा जारी दिनांक 17.5.2004 के बन्द करने के संस्तुति के अंतर्गत वर्ष के दौरान सभी इकाइयाँ अप्रचालन में रही हैं तथा वर्ष में स्थायी परिसम्पत्तियों और वस्तुसूचियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है। फिर भी कंपनी के पुनरुज्जीवन के लिये इसे ठीक प्रकार जाँचना होगा।

4.6 बी. आई. एफ. आर. के दिनांक 17.5.2004 के बंद करने के आदेश के कारण और कोई प्रचालन गतिविधि न होने के कारण कम्पनी द्वारा राशि का निर्धारण नहीं किया गया है

4.0 MISCELLANEOUS

4.1 In the opinion of the Board, Current Assets, Loans and Advances have a value on realization in the ordinary course of business at least equal to the amount at which they are stated in the financial statements.

4.2 In view of the decision for closure of the Company, exemption for maintaining cost records, "Cost Accounting Records" under the Fertilizer Rules 1993 has been sought from appropriate authority, for which approval is yet to be received.

4.3 Balances from Sundry Debtors, creditors, employees, lenders and others are unconfirmed. Discrepancies, if any, on the account are not ascertainable.

4.4 Assessment of sales tax (other than those which are pending under appeal) is completed upto 2009-10. Corporate Assessment is completed upto assessment year 2009-10.

4.5 In view of GoI decision to close manufacturing operations in the year 2002 and release of employees on VSS and the winding up recommendation issued by BIFR vide order dated 17.5.2004, all units remained non-operational during the year. Therefore, no physical verification of fixed assets & inventories could be carried out. However, it will be taken up as part of due diligence for revival of the company.

4.6 In view of winding up recommendation issued by BIFR vide order dated 17.05.2004 and in the absence of any operational activity, the Company

क्योंकि माइक्रो, लघु एवं मध्यम उद्यम, माइक्रो, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अंतर्गत आते हैं। अत: कम्पनी अधिनियम, 1956 के अनुच्छेद VI के अंतर्गत माँगी गयी जानकारी नहीं दी गयी है।

has not determined the amount due to Micro, Small and Medium Enterprise comes under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act 2006, therefore the desired disclosures as required under schedule VI of Companies Act, 1956 are not given.

5.0 संबंधित पार्टी विवरण

(I) महत्वपूर्ण प्रबंधन वैयक्तिक

1) श्री शाम लाल गोयल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, 31.3.2011 से
2) श्रीमती टी सी ए कल्याणी, निदेशक (वित्त), 30.10.2008 से
3) श्रीमती ललिता दास, निदेशक, 22.12.2010 से
4) श्री एस. आनन्दन, निदेशक, 8.8.2011 से
5) डॉ. प्रदीप कुमार, विशेष निदेशक, बी. आई. एफ. आर., 4.02.2011 से

(II) वह संस्थान जिन पर महत्वपूर्ण प्रबंधन वैयक्तिक महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं :

क. मैं. एच. एफ. सी. एल.
ख. मै. क्रिभको
ग. मै. आर. सी. एफ.
घ. मै. एफ. ए. सी. टी.
ङ. मैं. एन. एफ. एल.

(III) कम्पनी तथा संबंधित पार्टियों के कार्य व्यापार का ब्यौरा तथा 31.3.2012 को बकाया अधिशेष की स्थिति:

क. एच. एफ. सी. एल. से वसूली योग्य – इस वर्ष 148.81 लाख रुपये, पिछले वर्ष 148.81 लाख रुपये

5.0 RELATED PARTY DISCLOSURES

(I) Key Management Personnel:

1) Shri Sham Lal Goyal, Chairman & Managing Director w.e.f. 31.3.2011.
2) Mrs. T.C.A. Kalyaani, Director (Finance) w.e.f. 30.10.2008.
3) Smt. Lalitha Das, Director w.e.f. 22.12.2010.
4) Shri S. Anandan, Director w.e.f. 08.08.2011.
5) Dr. Pradeep Kumar, Special Director, BIFR w.e.f. 04.02.2011.

(II) Enterprises over which key management personnel are able to exercise significant influence:

a) M/s. HFCL
b) M/s. KRIBHCO
c) M/s. RCF
d) M/s. FACT
e) M/s. NFL

(III) Disclosure of transactions between the Company and related parties and the status of outstanding balances as on 31.3.2012 :

a) Recoverable from HFCL – C.Y. Rs.148.81 Lakh, P.Y. Rs.148.81 Lakh

ख. एन. एफ. एल. से वसूली योग्य – इस वर्ष 133.40 लाख रुपये पिछले वर्ष – 133.40 लाख रुपये

ग. क्रिभको से प्राप्त पट्टा किराया – इस वर्ष 8.94 लाख रुपये (पिछले वर्ष 8.55 लाख रुपये)

घ. एन.एफ.एल. से प्राप्त पट्टा किराया – इस वर्ष 12.16 लाख रुपये (पिछले वर्ष-शून्य)

लागू वित्तीय नियम व पद्धति को अपनाया गया है।

6.0 खण्डीय प्रतिवेदन

कम्पनी में कोई परिचालन न होने के कारण प्रतिवेदन के लिये अलग खण्ड नहीं है।

7.0 आय पर कर

सरकार के निगम को बंद कर देने निर्णय तथा प्रबन्धन की राय कि अब आस्थागित कर को समायोजित करने की कोई संभावना नहीं है, के कारण, आई.सी.ए.आई. द्वारा जारी आय पर करों से संबंधित लेखा मानक 22 के अनुसार निवल आस्थगित कर परिसम्पत्तियों का कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

8.0 प्रति शेयर अर्जन

मूल	(–) 736.15
द्रवीय	(–) 736.15

9.0 जहाँ कहीं भी आवश्यक हुआ गत वर्ष के आंकड़ों का पुनर्गठन कर लिया गया है ताकि उन्हें चालू वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलनात्मक बनाया जा सके।

b) Recoverable from NFL – C.Y. Rs. 133.40 Lakh P.Y. Rs.133.40 Lakh

c) Lease rent received from KRIBHCO – C.Y. Rs.8.94 lakh (P.Y. Rs. 8.55 lakh)

d) Lease rent received from NFL – C.Y. Rs.12.16 lakh (P.Y. Nil)

Financial rules and procedures as applicable have been adopted.

6.0 Segment Reporting

In the absence of any operations by the Company, there are no separate segments to be reported.

7.0 Taxes on Income

In view of decision by the Government for closure of the operating units of the Company and further in the opinion of the management, there being no probability of set off of net deferred tax assets, no adjustments have been carried out in respect of net deferred tax in terms of provisions of Accounting Standard 22 on Taxes on Income, issued by the ICAI.

8.0 Earning per share

Basic	(-) 736.15
Diluted	(-) 736.15

9.0 Previous year's figures have been regrouped / recasted wherever found necessary so as to make them comparable to current year's figures.

नगद प्रवाह विवरण
CASH FLOW STATEMENT

(रुपये '000 में)/(Rs. in 000's)

क. परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह :	A. Cash flow from operating activities :		
कर से पूर्व निवल हानि	Net Loss before Tax		(5,527,632)
समायोजन के लिये :	Adjustment for:		
मूल्यह्रास	Depreciation	2,662	
ब्याज पर व्यय	Interest Expenses	5,539,097	
ब्याज से आय	Interest Income	(51,958)	
विविध देनदारों में कमी	Decrease in Sy. Debtors	12	
ऋण एवं अग्रिम में बढ़त	Increase in Loan & Advances	4,536	
देयता में बढ़त	Increase in Liability	5,496,872	
निपटान कर दी गई परिसम्पत्तियाँ	Assets Disposed off	1,314	
वापस किया गया प्रावधान	Provision Written Back	(2,684)	
			10,980,779
			5,453,147
ख. निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह :	B. Cash Flow from Investing Activities :		
ब्याज से आय	Interest Income	51,958	
			51,958
			5,505,105
ग. वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह :	C. Cash Flow from Financing Activities :		
ब्याज पर व्यय	Interest Expenses	(5,539,097)	
			(5,539,097)
			(33,992)

आरम्भ में नकद एवं नकद के समान	Cash & Cash equivalent at Beginning	652,071
अन्त में नकद एवं नकद के समान	Cash & Cash equivalent at the end	618,079
		(33,992)

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 211 (3सी) में अधिसूचित लेखा मानक-3 के अनुसार उपर्युक्त नकद प्रवाह विवरण को अप्रत्यक्ष पद्धति से बनाया गया है।

The above cash flow statement has been prepared under the indirect method set out in Accounting Standard-3 notified u/s 211(3C) of the Companies Act, 1956.

यह हमारी इसी तिथि की रिपोर्ट में संदर्भित नकद प्रवाह है।

This is the Cash Flow referred to in our report of even date.

ह०/- Sd/-
(नीरज सिंघल)/(Neeraj Singhal)
निदेशक/Director

ह०/- Sd/-
(टी.सी.ए कल्याणी)/(T.C.A. Kalyaani)
निदेशक (वित्त)/Director (Finance)

ह०/- Sd/-
(सतीश चन्द्र)/(Satish Chandra)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/
Chairman & Managing Director

ह०/- Sd/-
(एस. कोंगारी)/(S. Kongari)
महा प्रबंधक/General Manager

हमारी इसी तिथि की रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date
कृते मै. घोष खन्ना एण्ड कम्पनी
M/s. Ghosh Khanna & Co.
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
प्रतिष्ठान रजिस्ट्रेशन संख्या 03366 एन
Firm Registration No. 03366N
ह०/- Sd/-
(रोहित कोहली)/(Rohit Kohli)
भागीदार/Partner
एम.संख्या/M.No. : 87722

स्थान/Place : नई दिल्ली/New Delhi
दिनांक/Dated : 19.07.2012